स्व–निर्देशित अध्ययन सामग्री
Self-Instructional Learning Material

मास्टर ऑफ आर्ट्स (समाजशास्त्र)

एम. ए. (समाजशास्त्र)

अन्तिम वर्ष

राजनैतिक समाजशास्त्र

(Political Sociology)

(चतुर्थ प्रश्न पत्र)

दूरवर्ती अध्ययन एवं सतत शिक्षा केन्द्र
महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय
चित्रकूट, सतना (म.प्र.) - 485334

राजनैतिक समाजशास्त्र
(Political Sociology)

lLdj.k&2016

प्रेरणा एवं मार्गदर्शन :
प्रो. नरेश चन्द्र गौतम
कुलपति
महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट (म.प्र.)

लेखक :
डॉ. राजेश त्रिपाठी
एसोसियेट प्रोफेसर, ग्रामीण प्रबन्धन विभाग

सम्पर्क सूत्र :
निदेशक, दूरवर्ती शिक्षा
दूरवर्ती अध्ययन एवं सतत शिक्षा केन्द्र
महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट (म.प्र.)
दूरभाष– 07670–265460, इ–मेल– distance.gramodaya@gmail.com, website: www.mgcgvchitrakoot.com

प्रकाशक :
कुलसचिव
महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट (म.प्र.)

कापीराइट © : महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट (म.प्र.)

आभार : यह अध्ययन सामग्री संबंधित पाठ्यक्रम और विषय के लिए विशेषज्ञों द्वारा तैयार की गई है। अध्ययन सामग्री को सरल, सुरुचिपूर्ण और बोधगम्य बनाने की दृष्टि से अनेक स्रोतों से प्रेरणा, संदर्भ और सामग्री ली गई है। सभी के प्रति आभार। अध्ययन सामग्री में व्यक्त विचार लेखक के अपने हैं। विश्वविद्यालय का इससे सहमत होना अनिवार्य नहीं है।

संदेश

महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना मध्यप्रदेश शासन द्वारा एक पृथक अधिनियम से 1991 में सुप्रसिद्ध समाजसेवी पद्मविभूषण नानाजी देशमुख के प्रेरणा और प्रयासों से चित्रकूट में मंदाकिनी के तट पर हुई। विश्वविद्यालय का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण विकास के लिए आवश्यक मानव संसाधन तैयार करना है। विगत 25 वर्षों की समर्पित सेवाओं में विश्वविद्यालय ने ज्ञान–विज्ञान के विविध आयामों पर अपने शिक्षा, शोध, प्रशिक्षण और प्रसार कार्यों से छाप छोड़ी है।

ग्रामीण क्षेत्र में संसाधनों के अभाव तथा सामाजिक–पारिवारिक परिस्थितियों के कारण निरंतरता से अध्ययन करने में बाधायें आती हैं। विश्वविद्यालय ने इस समस्या के समाधान के लिए गुणवत्तायुक्त दूरवर्ती शिक्षा को प्रत्येक ग्रामीण के घर–आँगन तक पहुँचाने का संकल्प लिया है। विश्वविद्यालय का दूरवर्ती अध्ययन एवं सतत शिक्षा केन्द्र इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सतत् प्रयत्नशील है।

मुझे प्रसन्नता है कि दूरवर्ती शिक्षा के विद्यार्थियों को स्वनिर्देशित अध्ययन सामग्री मुद्रित और व्यवस्थित रूप में पहुँचाये जाने का यह प्रयास न सिर्फ दूरवर्ती शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ायेगा बल्कि छात्रों को गहराई से अध्ययन करने की दिशा में अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगा।

प्रो. नरेश चन्द्र गौतम
कुलपति

राजनैतिक समाजशास्त्र
(Political Sociology)

इकाई प्रथम

राजनैतिक समाजशास्त्र की परिभाषा तथा विषय सामग्री राजनैतिक समाजशास्त्र के विशिष्ट उपागम राजनैतिक व्यवस्था तथा समाज के बीच अंतः सम्बन्ध

इकाई द्वितीय

प्रजातांत्रिक तथा सर्वाधिकारवादी व्यवस्थाएं, प्रजातात्रिक तथा सर्वाधिकावादी व्यवस्था के अर्विभाव तथा स्थायित्व की सहायक सामाजिक आर्थिक दशाए।

इकाई तृतीय

राजनैतिक संस्कृति– अर्थ तथा विशेषताए राजनैतिक सामाजीकरण– अर्थ विशेषताए तथा अभिकरण। समाज में भाक्ति वितरण के अभिजन सिद्धान्त (मोस्क परेटो, आर गिचेल्स मिल्स तथा अन्य के सन्दर्भ में) प्रबुद्धजन (बुद्धिजीवी) राजनैतिक भूमिका तथा महत्व, दबाब समूह तथा हित समूह प्रकृति आधार तथा राजनैतिक महत्व।

इकाई चतुर्थ

नौकरशाही विशेषताए तथा प्रकार नौकरशाही का राजनैतिक विकास में महत्व (भारत के विशेष संदर्भ में) राजनैतिक दलों की विशेषताएं, राजनैतिक दलों की सामाजिक संरचना राजनैतिक भर्तीकरण जनसहभागिता, राजनैतिक उदासीनता कारण तथा परिणाम (भारत के विशेष सन्दर्भ में)।

इकाई–पंचम

भारत में राजनैतिक प्रक्रियाए भारतीय राजनीति में जाति धर्म क्षेत्रीयता तथा भाषा की भूमिका।

जनमत में जन सम्पर्क माध्यम।

जन संचार की भूमिका।

अशिक्षित समाजो में संचार की समस्याएं। (पार्टी और राजनीति के सन्दर्भ में)

सामाजिक जीवन का राजनीतिकरण

इकाई प्रथम

NOTES

राजनैतिक समाजशास्त्र का एक परिचय :

इस इकाई के अन्तर्गत निम्न लिखित महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर अध्ययन करना है–

- राजनैतिक समाजशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा।
- राजनैतिक समाजशास्त्र की विषय वस्तु।
- राजनैतिक समाजशास्त्र के विशिष्ट उपागम।
- राजनैतिक समाजशास्त्र की व्यवस्था परिभाषा एवं विशेषताए।
- राजनैतिक व्यवस्था व समाज के बीच अन्तः सम्बन्ध।

समाजशास्त्र सभी समाज विज्ञानों में सबसे नवीन विज्ञान है। समाजशास्त्र के अर्न्तगत मानव समाज से जुडी विभिन्न प्रक्रियाओं का अध्ययन करते है। इस नवीन विज्ञान को जन्म देने का श्रेय फ्रांस के प्रसिद्ध विद्वान आगस्त कॉम्ट को जाता है। इन्होने सन् 1838 में सर्वप्रथम इस नवीन विज्ञान को समाजशास्त्र कहा। अतः इन्हें समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। समाजशास्त्र के अर्न्तगत मानव सम्बन्धों के मध्य होने वाले अतः सम्बन्धों विभिन्न क्रिया पक्रियाओं का व्यवस्थित एवं वैज्ञानिकता का सूक्ष्म से सूक्ष्म अध्ययन करता है। आज समाजशास्त्र का क्षेत्र विस्तृत रूप से स्वतंत्र अस्तित्व में वृद्धि हुई है। इसी कारण से समाजशस्त्र में कई नवीन शाखाओं को भी जन्म दिया है। जैसे– ग्रामीण समाजशास्त्र जनजातीय समाजशास्त्र, नगरीय समाजशास्त्र, औधोगिक समाजशास्त्र, अपराधशास्त्र, धर्म का समाजशास्त्र आदि शाखाएं है।

राजनैतिक समाजशास्त्र भी समाजशास्त्र की एक प्रमुख शाखा है। धीरे–धीरे ये भी समाज में अस्तित्व में आया है। लोगों की इसके प्रति भी रूचि

बढी है। प्राय ये समाज में पहले से ही विद्वमान था परन्तु इसे समझने व पढने का काम देर से शुरू हुआ। राजनैतिक समाजशास्त्र समाज के प्रत्येक क्षेत्र में विद्वमान है। बस हमें इसे समझने की जरूरत है। राजनैतिक समाजशास्त्र के अर्न्तगत मानव समाज में होने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं जैसे राजनैतिक सामाजिक अन्तः सम्बन्धों, आपसी व्यवहारों, राजनैतिक सामाजिक संरचनाओं संस्थाओं समूहों तथा सामाज में राजनैतिक सामाजिक व्यवस्थाओं के अध्ययन के साथ–साथ राजनीति का समाज के प्रत्येक क्षेत्र में पडने वाले प्रभावों का अध्ययन राजनैतिक समाजशास्त्र में करते है। राजनैतिक समाजशास्त्र में एक तरह से राजनीतिक शास्त्र तथा समाजशास्त्र का मिल जुला अध्ययन करके राजनैतिक समाजशास्त्र को स्पष्ट रूप से व्याख्या कर सकते है।

NOTES

राजनैतिक समाजशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा :

राजनैतिक समाजशास्त्र मुलतः दो प्रमुख शब्द राजनीति तथा समाजशास्त्र से मिल कर बना है। राजनीति समाजशास्त्र के अर्थ को हम अलग–अलग भी समझ सकते है। राजनैतिक के अर्थ को हम राजनैतिक घटनाओं, राजनैतिक क्रियाओं, राजनैतिक संस्थाओं से सम्बन्धित है। हमारे आस–पास प्रत्येक क्षेत्र में राजनैतिक घटनाये घटित होती है। जबकि समाजशास्त्र में हम सामाजिक घटनाओं समूहों संस्थाओं समाजिक मूल्यों मानव व्यवहार तथा उसके आस–पास होने वाली प्रत्येक क्रिया कलापों तथा मनवों सम्बन्धो के मध्य होने वाली क्रिया का अध्ययन करते है। अतः राजनैतिक समाजशास्त्र दोनों विज्ञानों से मिल कर बना है। इसलिए हम इसके अर्न्तगत दोनों का सम्मिलित रूप से अध्ययन करते है। अतः रानैतिक समाजशास्त्र के अर्न्तगत रानैतिक सामाजिक सम्बन्धों, राजनैतिक सामाजिक घटनाओं समूहों संस्थाओं तथा मानव सम्बन्धों अन्तः क्रियाओं तथा उसके व्यवहार आस–पास के वातावरण क्रिया–कलापों का भी रानैतिक सामाजिक अध्ययन किया जाता है।

राजनैतिक समाजशास्त्र को सार्वभौमिक रूप से परिभाषित करना मुश्किल है। फिर भी अनेक विद्वानों ने अपने–अपने विचारों से राजनैतिक समाजशास्त्र को परिभाषित करने के सम्बन्ध में विचार प्रस्तुत किए है। जो इस प्रकार है।

NOTES

लैविस ए0 कॉजर के अनुसार, ''राजनीतिक समाजशास्त्र वह भाषा है जो समाजो में या समाजों के समाजों के मध्य दिए गए शक्ति वितरण के कारणों प्रभावों तथा उन सामाजिक व राजनीतिक संघर्षो का अध्ययन करती है। जो इस प्रकार वितरण में परिर्वन लाती है।''

स्टूवर्ड राइज के अनुसार, ''राजनीतिक समाजशास्त्र का क्षेत्र उस प्रयास के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जो राजनीतिक व्यवहार एवं राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन में विभिन्न समाजशास्त्रीय अवधारणाओं एवं पद्धतियों का प्रयोग करते है।''

डाउसे एवं ह्यूज के अनुसार, ''राजनैतिक समाजशास्त्र मूल रूप में समाजशास्त्र की वह शाखा है। जिसका सम्बन्ध राजनीति एवं समाज में अतः क्रिया का विश्लेषण करना है।''

उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर कह सकते है कि, ''रानैतिक समाजशास्त्र समाजशास्त्र की वह शाखा या विज्ञान है। जिसके अर्न्तगत समाज में होने वाली प्रत्येक घटनाओं का सामाजिक जीवन पर पडने वाले पास्परिक सम्बन्धों का प्रक्रियाओं परस्परिक अन्तः क्रियाओं का व्यवस्थाओं एवं अवस्थाओं का मुख्य रूप से राजनैतिक परिपेक्ष के सम्बन्ध में वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है।''

राजनैतिक समाजशास्त्र की प्रमुख विशेषताएं :

राजनैतिक समाजशास्त्र की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्न लिखित है–

NOTES

1. राजनैतिक समाजशास्त्र की राजनीतिशास्त्र से प्रथकता

राजनैतिक समाजशास्त्र राजनीतिशास्त्र से पृथक विज्ञान है। क्योकि राजनीति शास्त्र के अर्न्तगत अधिकार प्रभावों का अध्ययन करते है। जब कि राजनैतिक समाजशास्त्र में घटनाओं संस्थाओं समाजिक क्रियाओं का अध्ययन राजनैतिक सामाजिक अधिकारों एवं प्रभावों का अध्ययन करते है।

2. राजनैतिक समाजशास्त्र की समाज विज्ञान से भिन्नता

राजनैतिक समाजशास्त्र में समाज में होने वाली घटनाओं क्रियाओं अन्तः क्रियाओं व्यवस्थाओं की अपेक्षा राजनैतिक सन्दर्भ में राजनैतिक सामाजिक घटनाओं एवं व्यवस्थाओं का ध्ययन करते है। अतः यह समाज विज्ञान से प्रथक है।

3. राजनैतिक समाजशास्त्र की विशिष्टता

वर्तमान समय में इस विज्ञान का विशेष स्थान है, यह विज्ञान राजनैतिक तथा समाज का दोनो का संयुक्त रूप है लेकिन राजनैतिक सामाजिक व्यवस्थाओं तथा उनके अध्ययन में वह अपनी विशिष्ट पहचान बनाता है। इस विज्ञान की विषय वस्तु एवं क्षेत्र में विशिष्ट स्थिति तक लाने में सफल है।

4. राजनैतिक समाजशास्त्र एक आधुनिक रूप या नवोदित शिशु के रूप

राजनैतिक समाजशास्त्र समाजशास्त्र की एक शाखा है तथा यह राजनीतिशास्त्र एवं समाजशास्त्र दोनों विषयों का मिला जुला विज्ञान है। समाजशास्त्र एक आधुनिक विज्ञान है। अतः राजनैतिक समाजशास्त्र भी आधुनिक विज्ञान है। यह दो विज्ञानों से उत्पन्न होने के कारण इसे एक नवोदित शिशु रूप भी कह सकते है क्योंकि अभी इसका अधिक विकास नही हुआ है।

5. राजनैतिक समाजशास्त्र की अन्य विज्ञानों से समानता

राजनैतिक समाजशास्त्र एक विशिष्ट एवं प्रभावपूर्ण विज्ञान दोनो के साथ–साथ यह एक नवीन विज्ञान है।

NOTES

राजनौतिक समाजशास्त्र की विषयः वस्तु :

राजनैतिक समाजशास्त्र को अनेक विद्वानों ने विचारों के माध्यम से परिभाषित किया है। इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि राजनैतिक समाजशास्त्र की विषय सामग्री एवं क्षेत्र के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट निष्कर्ष निकलना कठिन है। फिर भी विद्वानों ने राजनैतिक समाजशास्त्र में सामाजिक सम्बन्धो एवं प्रक्रियाओं को स्पष्ट किया है।

राजनैतिक समाजशास्त्र का अर्थ राजनैतिक सामाजिक सत्ता से है। सत्ता को स्पष्ट रूप से अधिकार बल, प्रभाव को राजनैतिक समाजिक सन्दर्भ में समझ सकते है।

अनेक विद्वानों ने राजनैतिक समाजशास्त्र की विषय सामग्री तथा क्षेत्र को स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास किया है जो निम्न है।

मिचेल द्वारा प्रस्तुत राजनैतिक समाजशास्त्र की विषय वस्तु :

मिचले ने राजनैतिक समाजशास्त्र को विषय वस्तु को निम्नलिखित भागो मे विभाजित किया है–

1. औपचारिक एवं अनौपचारिक संस्थाएं।
2. सम्भान्त जन एवं उनकी सदस्यता।
3. संघर्ष के आविर्भाव एवं नियमन।
4. हित समूह एवं दबाब समूह।
5. राजनीतिक मतों का निर्माण एवं।
6. राजनीतिक संस्थाओं के रूप में राजनीतिक दलों तथा विभिन्न प्रकार की शासन पद्धतियों के अध्ययन को सम्मिलित किया है।

NOTES

सारतोरी का मानना है कि ''यह एक ऐसा अनुशासन है। जो न तो विशुद्ध समाजशास्त्र है। और न ही विशुद्ध राजनैतिक विज्ञान यह दोनों के समन्वय से बना हुआ एक संयुक्त पुल है। इन्होने राजनैतिक समाजशास्त्र के क्षेत्र को तीन बिन्दुओं से स्पष्ट किया है–

1. प्रथमत ऐसे अध्ययन जो समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान की विचारधाराओं को मेल से एक नये दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है। उसे राजनैतिक समाजशास्त्र का क्षेत्र मान सकते है। उसके विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि समाज और राजनीति दोनें अन्तर्सम्बन्धित है।

समाज के सर्वसाधारण व्यक्ति राजनैतिक दृष्टि से किस आधार से और कैसी क्रिया करते है। ऐसी क्रिया से उत्पन्न प्रक्रिया का समावेश राजनैतिक समाजशास्त्र के क्षेत्र के अन्तर्गत सम्मिलित किया जाता है।

राजनैतिक पार्टियां समाज को किस रूप में प्रभावित करती है, चुंकि समाज में पाए जाने वाले वे दल उस समाज के लिए दबाव समूह का कार्य करते है। अतः राजनैतिक पार्टियों द्वारा समाज संरचना पर पडने वाला प्रभाव का अध्ययन भी राजनैतिक समाजशास्त्र करता है।

राजनैतिक समाजशास्त्र के क्षेत्र के महत्वपूर्ण अंगों को अलग अलग में देख जा सकता है। जो निम्न लिखित है।–

1. राजनैतिक समाजशास्त्र में राजनैतिक समाजिक व्यवस्थाओ का अध्ययन

राजनैतिक समाजशास्त्र का क्षेत्र राज्य की संरचना से शुरू होता है। इसके अर्न्तगत राजनीतिक क्रमबद्धता का सामाजिक व्यवस्थाओं मुल्यों सिद्वान्तों के आधार पर निर्धारण होता है। साथ–साथ इसमें नेतृत्व की क्षमता प्रकारों समूहों लक्षणों आदि का अध्ययन किया जाता है। राजनैतिक सत्ता के समाज में स्थापित करने का विश्लोषण भी इसके क्षेत्र के अर्न्तगत आता है। तथा समाज

में व्यक्ति मतों का निर्धारण किस आधार पर करता है। मतदाता के व्यवहार के अध्ययन के अधार पर ज्ञात कर सकते है।

NOTES

2. राजनैतिक समाजशास्त्र में वर्गो का अध्ययन :

राजनैतिक सामाजिक व्यवस्थाओं के अर्न्तगत दो वर्ग प्रमुख है पहली नौकरशाही वर्ग तथा दूसरी अभिजन वर्ग इनका समाज में विशेष स्थान है। इन्हीं वर्गो का अध्ययन विशेष रूप से किया जाता है। उनके व्यवहारों इनकी संरचना इनके राजनीतिक समूहों, विचारों आदि को समझना राजनैतिक समाजशास्त्र का एक क्षेत्र है। साथ ही कर्मचारी वर्ग की स्थिति तथा कर्मचारी तत्रं को प्रभावित करने की कोशिश भी राजनैतिक समाजशास्त्र के क्षेत्र के अर्न्तगत आता है।

3. प्रजातत्रीय सामाजिक व्यवस्था :

आधुनिक राजनैतिक सागाजशास्त्र में प्रजातत्रीय सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन का विशेष स्थान है। राजनैतिक सामाजिक व्यवस्था मे प्रजातंत्र को मुख्य माना जाता है। प्रजतंत्रीय व्यवस्था एक सुव्यवस्थित समाज बनाने में तथा आधुनिक समाज बनाने में विशेष योगदान है।

लिप्सेट का कथन है कि प्रजातन्त्र की सामाजिक स्थिति राजनीतिक समाजशास्त्र का केन्द्र बिन्दु है।''

4. राजनीतिक प्रक्रिया :

राजनीतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन भी राजनीतिक समाजशास्त्र के अर्न्तगत किया जाता है। इससे प्रचार जनमत राजनैतिक आन्दोलन राजनीतिक व्यवस्था के प्रभावों तथा राजनीतिक परिवर्तन इसके अध्ययन के केन्द्र है।

5. राज्य की व्यवस्था :

किसी भी राज्य में चलने वाली राजनीतिक समाजिक प्रक्रियाये तथा उनके मध्य होने वाली अन्तः क्रियाओं के सम्बन्ध का अध्ययन राजनैतिक

समाजशास्त्र का मुख्य बिन्दु है ग्रीअर तथा ओरलिएन्स का कथन है कि राजनीतिक समाजशास्त्र का प्रमुख विषय क्षेत्र राज्य की संरचना है।

NOTES

उपर्युक्त चरणों द्वारा राजनैतिक समाजशास्त्र की विषय समाग्री स्पष्ट हो जाती है। राजनीतिक समाजशास्त्र एक नवीन विज्ञान होने के कारण इसका अध्ययन क्षेत्र अभी पूर्व नियोजित नही है।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी राजनैतिक समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र को नियोजित किया गया है। 1960 में समाजशास्त्र की चौथे विश्व कांग्रेस में राजनैतिक समाजशास्त्र की समिति स्थापित की गई इस समिति के माध्यम सें राजनैतिक समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र का भी निर्धारण किया गया है।

राजनैतिक समाजशास्त्र के विशिष्ट उपागम :

राजनैतिक समाजशास्त्र के विशिष्ट उपागमों को समझने के लिए कुछ विशिष्ट बिन्दुओं की जानकारी परम आवश्यक है। जिनकी सहायता से समाजशास्त्र के उपागमों को अच्छी प्रकार से समझ सकते है।

1. समाजशास्त्र की ऐतहासिक पृष्टभूमि।
2. राज्य एवं समाज के मध्य अंतर्द्व।
3. राजनीति विज्ञान प्राचीन सिद्धान्तों की संकल्पना।
4. समाजिक विज्ञानों की उप शाखाओं में वृद्धि।
5. राजनैतिक उपागमों एवं समाजशास्त्रीय उपगामों का आपसी समागम।

राजनैतिक व्यवस्था :

राजनैतिक व्यवस्था की अवधारणा राजनैतिक समाजशास्त्र की ही तरह एक नवीन तथा मौलिक अवधारणा है। राजनैतिक एक नवीन तथा मौलिक अवधारणा है। राजनैतिक व्यवस्था में मूल्यतः दो शब्द राजनैतिक, व्यवस्था है। राजनैतिक का अर्थ है किसी कि समस्या सुलझाना तर्क नियमों को राजनीति के माध्यम से बनाना तथा इस प्रक्रिया को निरन्तर समाज में बनाये रखना

राजनीति है। तथा व्यवस्था से तात्पर्य किसी भी वस्तु संस्था या समाज के विभिन्न अंगों की एक निश्चित क्रमबद्धता से है इसमें प्रत्येक अंग का क्रियात्मक महत्व होता है सन् 1953 में डेविड ईस्टन ने अपनी पुस्तक 'द पॉलिटिकल सिस्टम' में राजनीतिक व्यवस्था को परिभाषित करते हुए लिखा है कि ''किसी समाज में पारस्परिक क्रियाओं की ऐसी व्यवस्था को जिससे उस समाज में बाधक या अधिकारक नीति निर्धारण किया जा सके राजनीतिक व्यवस्था कहा जाता है।'' डेविड ईस्टन को राजनैतिक व्यवस्था संबन्धी अवधारणा का संस्थापक भी कहा जाता है।

NOTES

सामान्य रूप में राजनीतिक व्यवस्था का अर्थ इसके विविभन्न अंगों सामाजिक समूहों संस्था तथा समाज की संरक्षना के कार्यो तथा क्रिया की क्रमबद्धता से लिया गया है।

राजनैतिक व्यवस्था की विभिन्न विद्वानों द्वारा परिभाषित परिभाषाएं निम्नलिखित है।

आमण्ड और पावेल के अनुसार, ''व्यवस्था में व्यवस्था के अंगो की अन्तरनिर्भरता का भाव निहित होता है।'' अर्थात परस्पर निर्भरता राजनैतिक व्यवस्था के अगों या तत्वो में देखी जा सकती है।

कार्ल डब्ल्यू डायस के अनुसार, ''राजनैतिक व्यवस्था स्पष्ट रूप से पहचानी जाने योग्य उन इकाईयों की समष्टि होती है। जो परस्पर अभिन्न व भिन्न होते हुए भी सुसम्बद्ध होती है।''

आमण्ड व कोलमैन, ''राजनैतिक व्यवस्था समाज में वैध व्यवस्था बनाए रखने वाली अथवा परिवर्तन लाने वाली पद्धति है।

हरोल्ड लॉसवेलः ''राजनैतिक व्यवस्था मूलतः शक्ति का निर्धारण वितरण एवं प्रयोग है। जिसका उद्देश्य समायोजन के लिए समय विशेष में स्थायी प्रतिमानो को खोजना है।''

NOTES

संक्षेप मे कह सकते है कि ''राजनैतिक व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है। जिनके विभिन्न अंगों में आपसी अन्तः सम्बन्ध होता है। तथा इसके किसी भी अंग में परिवर्तन से समग्र राजनैतिक व्यवस्था में परिवर्तन आ जाता है। राजनैतिक व्यवस्था का सम्बन्ध सम्पूर्ण समाजिक व्यवस्था तथा क्रमबद्धता से है। रानैतिक व्यवस्था नियम तर्क बहस और अधिकार पाने की एक सामाजिक राजनैतिक व्यवस्था है।

राजनैतिक व्यवस्था की विशेषताएँ :

राजनैतिक व्यवस्थाओं के अन्तर्गत पाई जाने वाली विशेषताएं निम्न लिखित है।

1. राजनैतिक संरचनाओं की एकरूपता या समानता :

राजनीतिक व्यवस्था में समान्ता का गुण पाया जाता है। इसकी एक निश्चित संरचना होती है। राजनैतिक व्यवस्था इन संरचनाओं पर निर्भर रहती है।

2. राजनैतिक संरचनाओं का कार्यवादी होना :

राजनैतिक व्यवस्थाओं के अन्तर्गत विविध कार्य निरन्तर चलते रहते है। यह कार्य एक दूसरे से जूडे हुए होते है। इनमें अन्तः सम्बन्ध पाया जाता है। अतः यह एक से अधिक कार्य को एक साथ कर सकते है।

3. राजनैतिक व्यवस्था में गतिशीलता पायी जाती है :

प्रत्येक राजनैतिक व्यवस्थाओं में समय परिवर्तनों के साथ परिवर्तन देखे जा सकते है। इन परिवर्तनों को हम पहले की राजनीति व्यवस्था तथा अभी की राजनीतिक व्यवस्था में भिन्नता के रूप में समझ सकते है।

4. राजनैतिक व्यवस्था में समय व सीमा :

राजनैतिक व्यवस्था किसी सीमा, स्थान व समय–समय से परे है। अर्थात राजनैतिक व्यवस्था को किसी सीमा, भौगोलिक क्षेत्र या समय में प्रतिबन्धित नही किया जा सकता। राजनैतिक व्यवस्था के अर्न्तगत वे कार्य व कार्यकर्ता आते है जो इन व्यवस्थाओं में अपनी भूमिका अदा करते है।

NOTES

5. राजनैतिक व्यवस्थाओं का असमान रूप से वितरित होना :

राजनैतिक व्यवस्थाओं में प्रायः राजनैतिक साधनों का असमान वितरण होता है। जिससे राजनैतिक व्यवस्थाओं में इसका प्रभाव देखा जा सकता है। जिन व्यक्तियों के पास ये साधन व गुण होते है वे राजनीति में अधिक प्रभुत्व वाले तथा लोगों को इनके माध्यम से प्रभावित व नियत्रित कर लेते है। साधनों के समाान वितरण से शासन व शक्ति में भेद उत्पन्न होता है।

6. राजनैतिक प्रभुत्व बनाए रखने की चेष्टा :

समाज में ऐसे लोग कम होते है जो राजनैतिक प्रभाव में उच्च स्थान को बनाये रखते है। प्रायः लोग राजनैतिक में सर्वोत्तम स्थान बनाये रखने की चेष्टा रखते है लेकिन वे सफल नही होते है और जो सफल होते है वे राजनैतिक व्यवस्था को अपने अनुकूल बनने तथा सरकार और लोगो को अपने पक्ष में कर लेते है।

7. राजनैतिक व्यवस्थाएं लोगो को प्रभावित करती है :

राजनैतिक व्यवस्थाएं एक दूसरे को कई प्रकार से प्रभावित करते है। आज कोई भी संसार क्षेत्र या लोग नही जो इस व्यस्था से प्रभावित न हो।

राजनैतिक व्यवस्था व समाज में अंत संबन्ध :

समाज मनुष्य की प्रथम पाठ्यशाला है। मनुष्य समाज में ही रहकर अच्छे बुरे को जीने के ढंग को समाजिकता आदि को सीखता है। जैसा की अरस्तु ने

NOTES

कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहना उनकी अनिवार्यता है। जब से इस सृष्टि का जन्म हुआ है। मनुष्य का जन्म हुआ है उसी समय से ही समाज का भी निर्माण हुआ है अतः यह कह सकते है कि एक से अधिक मनुष्यों या समूहो के बीच पाये जाने वाले पारस्परिक सम्बन्धों या व्यवस्था ही समाज कहलाती है। जैसा की मैकाइवर व पेज लिखते है कि ''समाज सामाजिक सम्बन्धों का जाल है।''

इस समाज को चलाने के लिए प्रत्येक समाज एक नियम कानून व व्यवस्था होती है। जिस प्रकार समाज को चलाने के लिए सामाजिक व्यवस्थाओं महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। उसी प्रकार समाज को देश को परिस्थितियों के अनुसार समाजिक व्यवस्था के साथ–साथ राजनैतिक व्यवस्थाओं का भी महत्वपूर्ण स्थान है। प्रत्येंक समाज में सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक आदि व्यवस्थाये अपना महत्व रखती है। समाज मे ही इन परिस्थितियों का जन्म हुआ है। समाज में व्यवस्था बनाए रखने तथा परिवर्तन लाने के लिए नये नये विचार का आना सामाजिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन राजनैतिक व्यवस्था का ही एक भाग है। अतः राजनैतिक व्यवस्था भी समाज का एक अंग है। दोनों के बीच एक अन्तः सम्बन्ध गुण पाया जाता है विभिन्न विद्वानो ंने दोनो के सम्बअन्धों को अपने अपने दृष्टिकोणों से समझने का प्रयास किया है।

समाज व राजनैतिक व्यवस्थाओ की अवधारणाओं के परस्पर सम्बन्धों को कैटलिन ने समझाया है कि राजनीति सगठित समाज का अध्ययन है। अत' समाज व राजनैतिक व्यवस्थाओं को अलग–अलग नही किया जा सकता। अनेक विद्वानो ने राजनैतिक क्रियाकलापो व प्रक्रियाओं को समझने के लिए ऐसे समाजशस्त्रीय सिद्धान्तो को पढा व प्रयोग किया जो समाजिक व्यवस्थ के साथ–साथ राजनैतिक व्यवस्था से भी सम्बन्धित थे।

नारमन डी पामर व फिलिप्स लिखते है कि सामाजिक प्रवृत्तियों का राजनैतिक व्यवस्थाओं पर ज्यादा प्रभाव पडता है। इसी सन्द्रर्भ में रजनी कोठारी

व रूडोल्फ लिखते है कि राजनैतिक व्यवस्थाओं का सामाजिक प्रवृत्तयों पर ज्यादा प्रभाव पड़ा है।

राजनैतिक व्यवस्था और समाज में अंतः सम्बन्धों के बारे में जब हम विचार करते है तो सर्वप्रथम सामाजिक संरचाना व व्यवस्था के सभी तत्वों व मुल्यों पर राजनैतिक व्यवस्था पर होने वाले पारस्परिक सबन्धों का ध्यान रखना अति आवश्यक होगा। रजनी कोठारी की पुस्तक 'Caste in Indian politics' में भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका का विस्तृत विश्लेषण किया है। उनका मानना है कि भारत की जनता जातियों के आधार पर संगठित है। अतः न चाहते हुए भी राजनीति को जाति संस्था को उपयोग करना ही पडता है।

राजनैतिक व्यवस्था में सामाजिक व्यवस्था का विशेष योगदान है। राजनैतिक व्यवस्था समाजिक परिस्थितियों की ही देन है। भिन्न–भिन्न समाजो तथा देशो की सामाजिक परिस्थितियों ने विभिन्न समाजों ने भिन्न राजनैतिक व्यवस्था को जन्म दिया है। अतः राजनैतिक व्यवस्था से सामाजिक व्यवस्थाएं प्रभावित होती रही है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर कह सकते है कि इन दोनो में आपसी सह संबध है।

■■■

NOTES

NOTES

परिक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न निम्नलिखित हैं–

1. राजनैतिक समाशास्त्र की परिभाषा देते हुए इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
2. राजनैतिक समाजशास्त्र का अर्थ स्पष्ट करते हुये इसकी विषय सामग्री की विवेचना कीजिए।
3. राजनैतिक समाजशास्त्र से आप क्या समझते है। इसके विशिष्ट उपागमों की व्यवस्था कीजिए।
4. राजनैतिक व्यवस्था का विस्तार पूर्ण वर्णन किजिए।
5. राजनैतिक समाजशास्त्र एवं राजनैतिक व्यवस्था को परिभाषित कीजिए।
6. राजनैतिक व्यवस्था तथा समाज में अन्तः सम्बन्ध की विवेचना कीजिए।
7. राजनैतिक समाजशास्त्र की विषय वस्तु को स्पष्ट करते हुए राजनैतिक क्षेत्र की विवेचना कीजिए।
8. राजनैतिक समाजशास्त्र तथा राजनैतिक व्यवस्था की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए।
9. राजनैतिक समाजशास्त्र की विषय समाग्री को स्पष्ट करते हुए मिचले द्वारा प्रस्तुत विषय समाग्री की विवेचना कीजिए।

■■■

इकाई–द्वितीय

प्रजातांत्रिक तथा सर्वाधिकारवादी व्यवस्थाएं

NOTES

इस इकाई के अर्न्तगत निम्नलिखित विन्दुओं पर अध्ययन करना है–

- प्रजातांत्रिक व्यवस्था।
- सर्वाधिक खादी व्यवस्था।
- प्रजातांत्रिक तथा सर्वाधिकावादी व्यवस्था के अविर्भाप तथा स्थायित्व सहायक सामाजिक आर्थिक दशाएँ।

प्रजातांत्रिक व्यवस्था :

प्राजातात्रिक व्यवस्था एक राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था है। समाज में व्यक्ति के सुखी रहने न्याय अधिकार कर्त्तव्यों सुरक्षा तथा कल्याण के लिए कई व्यवस्थाऐ संस्थाए प्रचलित रही है। उन्ही में से प्रजातात्रिक व्यवस्था भी एक है। ये व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से सर्वाधिक प्रचलित व्यवस्था है।

प्रजातात्रिक व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमे जनता द्वारा चुने गये कुछ लोगों द्वारा बनायी गयी ऐसी व्यवस्था जिसमें उनकी सुरक्षा व्यवस्था जाति भाव, धर्म, लिंग के लोगों को समान रूप से स्वतन्त्र व समाजिक न्याय पा सके इस प्रकार के मूल्यों नियमों से परिपूर्ण इस व्यवस्था का हम लोकतांत्रिक व्यवस्था कह सकते है।

वर्तमान में प्रजातन्त्र व्यवस्था को सबसे अच्छी शासन प्रणाली माना जाता है। प्रजातन्त्र व्यवस्था सर्वाधिक रूप से स्वीकार की जाने वाली प्रणाली है। इसके आदर्शों एवं स्वरूप की सराहना हर व्याक्ति करता है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में शासन सत्ताओं का स्वरूप में बदलाव आया है। प्रजातात्रिक व्यवस्था राजनैतिक व सामाजिक दोनों पक्षों से जुडी हुयी व्यवस्था है। जहां एक और

राजनैतिक व्यवस्था को मजबूत करता है। वही दूसरी ओर समाजिक रूप से सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार भी प्रदान करने पर बल देता है। इस प्रकार कह सकते है की प्रजातत्रिक व्यवस्था एक राजनैतिक सामाजिक व्यवस्था है।

NOTES

प्रजातन्त्र का शाब्दिक अर्थ जनता का शासन है। अर्थात जनता अपना प्रतिनिधित्व स्वयं करे या अपना कोई ऐसा प्रतिनिधी चुने जो सुरक्षा व्यवस्था के साथ शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाये।

विभिन्न विद्वानों ने प्रजातंत्र की निम्नलिखित परिभाषायें दी हैं–

लिंकन के अनुसार – ''प्रजातंत्र का अर्थ जनता की, जनता के लिए और जनता द्वारा सरकार है।''

लेविस के अनुसार – ''प्रजातंत्र मुख्य रूप से वह सरकार है जिसमें सम्पूर्ण राष्ट्र की बहुसंख्यक जनता सम्प्रभु शक्ति के प्रयोग से भाग लेती है।''

हाल के अनुसार – ''प्रजातंत्र राजनैतिक संगठन का वह स्वरूप है जिसमें जनमत का नियंत्रण रहता है।''

उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें स्वंम जनता अपना अतिनिधी चुनता है और सर्वसम्मती से बनाये गये शासन प्रमाणलियों से हिस्सा लेता है। एक सरकार से खुद शासन करता है।

प्रजातंत्र की विशेषताएं–

प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं में पायी जाने वाली विशेषताए निम्नलिखित है।

1. प्रजातंत्र व्यवस्था में स्वतंत्रता तथा समानता का भाव रहता है। तथा व्याक्ति को अनेकों अधिकार समान रूप से प्रदान करता है।
2. यह व्यक्ति की प्रतिष्ठा व उनके सम्मान की सुरक्षा करता है।

3. प्रजातात्रिक व्यवस्था में सभी व्यक्तियों को राजनैतिक सामाजिक व आर्थिक रूप से न्याय पाने का समान आधिकार प्राप्त है।

4. प्रजातात्रिक व्यवस्था में प्रणाली या नियम कानून में परिवर्तन करने के लिए सविधान का सहारा लिया जाता है। जो सविंधान में पहले से लिखित है।

5. प्रजातांत्रिक व्यवस्था का उद्देश्य जनता का कल्याण करना है।

6. प्रजातात्रिक व्यवस्था की शासन प्रणाली अन्य सभी प्रकार की शासन प्रणालियों की तुलना में श्रेष्ठ है।

7. प्रजातांत्रिक व्यवस्था को जनता ने एक आदर्श राजनैतिक व सामाजिक व्यवस्था के रूप में स्वीकार किया है।

NOTES

प्रजातात्रिक व्यवस्था के प्रकार :

प्रजातांत्रिक व्यवस्था के मुख्य दो प्रकार जो निम्न है–

1. प्रत्यक्ष प्रजातांत्रिक व्यवस्था।
2. आप्रत्यक्ष प्रजातात्रिक व्यवस्था।

प्रत्यक्ष प्रजातांत्रिक व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें प्रत्यक्ष रूप से एवमं जनता या लोग अपना शासन करते है या शासन व्यवस्था को चुनते है। तथा स्वयं अपने लिए नियम कानून का निर्माण करते है। अप्रत्यक्ष व्यवस्था है। जिसमें लोग स्वयं शासन व्यवस्था में भाग नहीं लेते है। तथा अपने चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा शासन व्यवस्था को स्वीकार्य करते है।

प्रजातांत्रिक व्यवस्था के मूल सिद्धान्त :

प्रजातांत्रिक व्यवस्था एक सरकारी प्रणालि के साथ–साथ जीवन का एक आदर्श है। यह जीवन में विकास के लिए परम आवश्यक मारी है। प्रजातात्रिक व्यवस्था के मूल सिद्धान्त निम्नलिखित है–

NOTES

1. समानता का अधिकार :

प्रजातांत्रिक व्यवस्था में समानता का विशेष स्थान है यह प्रणाली सभी को समान रूप से विकास के अवसर प्रदान कराती है। इस व्यवस्था में राज्य तथा सरकार की दृष्टि से समाज के सभी लोागों समान रूप से बिना किसी भेद भाव से सभी जाति लिंग धर्म गरीब अमीर को एक समान सुविधाएं व अधिकार प्राप्त है। इस कारण इस सिद्धान्त का या प्रजातांत्रिक व्यवस्था का अधिक महत्व है।

2. स्वतन्त्रता :

प्रजातांत्रिक व्यवस्था प्रजा को स्वतन्त्र रूप अपने विचारों भाषणों लेख लेखन या अपने कार्यो को जो राष्ट्र हित में है करने की स्वतन्त्रा है।

3. स्वतंत्र न्यायालय व कानून व्यवस्था–

स्वतन्त्र न्यायालय का आशय यह है की सभी नागरिकों को समान रूप से न्याय प्रिय व निष्पदन न्याय मिले। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में कानून व्यवस्था किसी व्यक्ति के लिये नही है और न ही सभी के लिये अलग–अलग है सभी के लिय समान रूप से है चाहे वे सत्ता में ही और चाहे वे एक साधारण नागरिक सभी के लिए कानून व्यवस्था समान है।

4. मूल अधिकार :

प्रजातात्रिक व्यवस्था के अनुसार संविधान में कुछ मूल अधिकार बनाये गये है। जो सभी को नागरिकों के उत्थान व भलाई के लिए है।

5. लोकमत व लोक सेवा :

लोकमत का अर्थ है लोगों का मत प्रजातांत्रिक व्यवस्था मे लोगो के मतों के आधार पर ही शासन का संचालन होता है। लोक मत या जनमत

प्रजातांत्रिक व्यवस्था का आधार है। यह व्यवस्था हमेशा लोगों की सेवा उनके हित व कल्याण के लिए तत्पर पूर्ति है।

6. अन्य सिद्धान्त :

NOTES

इसके अलावा और सिद्धान्त प्रजातांत्रिक व्यवस्था में पाये जाते है। जैसे सत्ता की शाक्ति लोगों के पास होना राजनैतिक दल बनाने की स्वतन्त्रता प्रत्यक्ष चुनना आदि सिद्धान्त प्रजातांत्रिक व्यवस्था के सहयोगी है।

सर्वाधिकावादी व्यवस्था :

कुछ पूर्ववर्ती सरकारों में देश में सर्वाधिकारी व्यवस्था से तात्पर्य किसी साम्यवादी सर्वाधिक तथा फासिस्ट सर्वाधिकारवादी व्यवस्थाओं से है। किसी भी देश की व्यवस्था उस देश की शासन प्रणाली द्वारा निर्धारित की जाती है। अर्थात शासन प्रणालियों के अनुसार उस देश की सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक व्यवस्थाएं नये तरीके से स्थापित होती है।

इसी प्रकार सर्वाधिका वादी व्यवस्था भी एक प्रकार की शासन प्रणाली है जिसमें समाज के प्रत्येक व्यक्ति के संपूर्ण दयित्वों का निर्वाह किसी एक के पास अर्थात राज्य सत्ता के पास होता है। और वही प्रत्येक नागरिक सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान देता है। सर्वाधिकारवादी व्यवस्था में सत्ता राज्य के पास होने के साथ–साथ वह सारे अधिकार और निर्णय का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखती है।

प्रो0 सेबाइन ने अपनी पुस्तक 'ए हिस्ट्री ऑफ पोलिटिकल थ्योरी' में सर्वाधिकारवादी के संबन्ध में कुछ विचार व्यक्त करते हुये लिखा है कि ''सर्वाधिकारवाद के सिद्वान्त के अनुसार शासन न केवल सत्ता के प्रयोग में निरकुश वरन् असीमित भी होता है। कोई भी वस्तु उनके क्षेत्र के बाहर नही होती। प्रत्येक हित और वस्तु राष्ट्रीय साधनों के प्रत्येक अंग आर्थिक नैतिक और

उसी के द्वारा उसका प्रयोग किया जाता है।'' इस व्यवस्था में राज्य का पूर्ण नियंत्रण होता है।

NOTES

सर्वाधिकारवाद को स्वरूप–

प्रमुख विद्वानों ने सर्वाधिकारवादी व्यवस्था को मुख्यता दो स्वरूपों में विभाजित किया है–

1. वामपक्षीय सर्वाधिकारवादी राज्य तथा।
2. दक्षिण पक्षीय सर्वाधिकार वादी रात्य।

वामपक्षीय सर्वाधिकारवादी राज्य ऐसे राज्य है जिनमें साम्यवादी व्यवस्था को लोग पसन्द करते है। सोवियत रूस चीन, पूर्वी, यूरोप आदि राज्य साम्ववादी देश है इन्ही को वामपक्षीय भी कहा जाता है। इस व्यवस्था से पूजीवादी व्यवस्था का अन्त कर उसकी जगह पर सर्वहारा वर्ग अर्थात श्रमिको राज्य को अधिक महत्व प्रदान करती है।

इटली जर्मनी, स्पेन पुर्तगाल, हगरी आदि देशो को दक्षिण पक्षीय सर्वाधिकारवादी राज्यों के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है। इन राज्य को तथा इन राज्यो की विचारधारा को फस्सिट सर्वाधिक खाद नाम से जानते है। इन विचार धाराओं को मानने वाले देश समाज में फैली पूंजी वादी व्यवस्था का अन्त नही होने देते यद्यपि उसे उसी प्रकार बनाए रखना चहते है। फासीवाद तथा नाजीवाद से दोनो ही विचाराधाराये दक्षिण पक्षीय सर्वाधिकारवादी व्यवस्था के अन्तर्गत आदि है।

सर्वाधिकारवादी व्यवस्था के लक्षण :

सर्वाधिकारवादी व्यवस्था के कुछ सामान्य लक्षण व विशेषताये निम्नलिखित है–

1. **सर्वाधिकारवादी प्रजातंत्र के विरूद्ध व्यवस्था है–** सर्वाधिकारवाद प्रजातंत्र के विरूद्ध एक व्यवस्था है। इसलिए यह प्रजातंत्र के लिए अभिशाप है। सर्वाधिकारवादी इस व्यवस्था का प्रजातांत्रिक प्रणाली को एक दिखावा मात्र मानते है। वो ये समझते है की प्रजातंत्रिक व्यवस्था में निष्ठिा व अयोग्य हि लोग होते है। जो देश या राज्य को सिर्फ हानि पहुंचा सकते है।

NOTES

2. **सर्वाधिकावाद स्वाभाविक प्रवृत्तियों को महत्व देता है–** सर्वाधिकारवादी राज्य में तर्कशीलता बुद्धि व विवके को महत्व नही देता है। इस व्यवस्था का ये मानना है कि मनुष्य की स्वभाविक या भूल प्रवृत्तियों और अतः प्रेरणाये बुद्धि व विवेक से अधिक महत्व रखती है। सर्वाधिकारवाद व्यवस्था को बुद्धि विरोधी दर्शन भी कहा जाता है।

3. **सर्वाधिक खादी प्रभुत्वशाली राज्य में विश्वास करते है–**
सर्वाधिकारवादी व्यवस्था अपने को सर्वाव्यापी सर्वश्रेष्ठ मानती है। सर्वाधिकारियों का कहना है कि राज्य में कोई भी गलती या भूल नही हो सकती उसका इस व्यवस्था पर समाज पर हर तरह से सामाजिक व भौतिक रूप से पूर्ण नियत्रण स्थापित रहता है। सर्वाधिकार पूर्ण रूप से प्रभुत्व संपन्न राज्य में विश्वास करते है।

4. **नैतिक मूल्यों व सिद्धान्तों में आस्था न रखना–** सर्वाधिकारवादी नैतिक सिद्धान्तों व मूल्यों में विश्वास नही करते उनका मानना है कि ये नौतिक सिद्धान्त व मूल्य देश के विकास में बाधक है। ये राज्य उदारवाद व मानवतावाद पर भी विश्वास नही रखते।

5. **सर्वाधिकारवादी व्यवस्था व्यक्ति को स्वतन्त्रता नही देता–** सर्वाधिकारवादी किसी भी व्याक्ति को व्यक्तिगत स्वतन्त्रता नही प्रदान करता। इस व्यवस्था में व्यक्ति को सोचने समझने भाषण लिखने पुस्तक

प्रकाशन को व रेडियों टेलीविजन उद्योग मनोरंजन आदि पर नियत्रण होता है तथा कोई भी संघ या समिति बनाने की भी अनुमति नही देता।

NOTES

6. **अन्य लक्षण**– सर्वाधिकारी और कई लक्षण भी पाये गये जिनमे से सर्वाधिकारी राज्य धर्म प्रति द्वंदी होना तथा वह सर्वाधिकारवादी धर्म को शत्रु मानते है। सर्वाधिकारवादी राज्य अपने देश को आर्थिक तौर पर सफल व स्वालबी बनाने का प्रयास करते है वे युद्ध को अधिक महत्व देते है वे युद्ध का खुलेआम प्रचार करते है और युद्ध के संचालन में काम आने वाले पदार्थो के लिए वे दूसरे देशो पर कम से कम निर्भर रहना पसंद करते है। सर्वाधिकारवादी राज्य सैनिक वादी होते है वे अपने कर्तव्य को उत्सुक्तापुर्ण व भूखे रहकर भी करने को तैयार रहते है। इस प्रकार सर्वाधिकारवाद व्यवस्था उपरोक्त विशेषताये रखने को मिलती है।

प्रजातांत्रिक एवं सर्वाधिकारवादी व्यवस्था के आविर्भाव तथा स्थायित्व की सहायक सामाजिक आर्थिक दशाएं :

विभिन्न देशों के राजनीतिक क्षेत्र में प्रजातांत्रिक व सर्वाधिकारवादी व्यवस्थाएं परिस्थितियों के अनुसार एक व्यवस्था व प्रणाली के रूप में रही है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था को अनेक देशों ने स्वीकार किया है जबकी सर्वाधिकारवादी व्यवस्था सिर्फ नाममात्र कुछ देशों में है। यहाँ हम प्रजातात्रिक व सर्वाधिकारवादी व्यवस्थाओं के आविर्भाव तथा स्थायित्व की सहायक सामाजिक आर्थिक दशाओं का अध्यन करेगें।

प्रजातांत्रिक व्यवस्था के आविर्भाव तथा स्थायित्व की सहायक सामाजिक आर्थिक दशाएँः

वर्तमान समय में कोई देशों में प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली प्रचलित है। प्राचीन युनानी इतिहासकार हेरोडोटस के अनुसार, ''प्रजातंत्र उस शासन प्रणाली का नाम है, जिसमें राज्य की सर्वोच्च सत्ता संम्पूर्ण जनता में निवास करती है।''

प्राचीन काल में भी भारत कें अनेक राज्यों में प्रजातांत्रिक व्यवस्था प्रचलित थी। प्रजातांत्रिक शासन एक ऐसा शासन है। जिसमें व्यक्ति को पूर्ण रूप से प्रगति के समान अवसर मिले और आर्थिक असमानता कम से कम हो। प्रजातात्रिक व्यवस्था सामाजिक आदर्शो के रूप में व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान करता है।

NOTES

प्रजातांत्रिक व्यवस्था के आविर्भाव तथा स्थायित्व की सहायक सामजिक आर्थिक दशाओं के लिए निम्नलिखित शर्ते आवश्यक हैं–

1. प्रजातात्रिक व्यवस्था को बनाये रखने के लिए सर्वप्रथम आवश्यक दशा यह है कि व्यक्तियों में आपसी सहयोग की भावना का विकास होना चाहिए। सभी जाति धर्मो राजनीतिक सत्ताधरियो और सभी दलों का आपसी सहयोग व सभी के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करना चाहिए।
2. प्रजातंत्र की दूसरी सबसे आवश्यक दशा शिक्षा को माना है। शिक्षा के माध्यम से एक दूसरे की बातों व समस्याओं को ठीक प्रकार समझा जा सकता है। शिक्षा राजैतिक क्षेत्र में सही नीतियों व राजनैतिक कार्यो को ठीक प्रकार से करने में सहायक है।
3. स्थानीय स्वंय सेवी सथाएं ग्राम पंचायतें नगर पालिकाएं जिला पंचायते प्रजातंत्र की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान देती है।
4. प्रजातंत्र के आविर्भाव के लिए स्वस्थ एवं सुसंगठित विरोधी दलों का होना आवश्यक है। ये विरोधी दल प्रजातांत्र में होने वाली गलत नीतियों पर अंकुश लगाता है।
5. प्रजातांत्रिक व्यवस्था में प्रेस का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रेस जनता तथा सरकार के मध्य एक कडी का कार्य करती है। ये जनता को सरकार की नीतियों तथा देश विदेश की खबरों को प्राकाशित कर जानकारी देती है।

NOTES

6. प्रजातंत्र को अनुकूल दशएं जनता की जागरूकता पर निर्भर है। प्रजातत्रं को बनाये रखने के लिए जनता को अपने कर्त्तव्यो अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए। प्रजातंत्रात्मक मुल्यों की रक्षा लोगों में जागरूकता से ही हो सकती है।

7. प्रोफेसर बर्गेस ने प्रजातंत्र की सफलता के लिए राष्ट्रीय भावना तथा राष्ट्रीय एकता को भी आवश्यक माना है। उनका मानना है कि इससे संकीर्ण मनोवृत्ति दुर होगी जो प्रजातंत्र के लिए परम् आवश्यक है।

सर्वाधिकारवादी व्यवस्था के आविर्भाव तथा स्थापित्व की सहायता सामाजिक आर्थिक दशाएँ :

सर्वाधिकारवादी व्यवस्था एक ऐसी राजनैतिक व्यवस्था है। जिसमें संपूर्ण सत्ता राज्य के पास होती है। और वह सारे अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के समयान्तराल में सर्वाधिकारवादी व्यवस्था को विशेष रूप से प्रसार हुआ। इसका आविर्भाव 1922 में इटली में मुसोलिनी के नेतृत्व में फासीवाद के उदय के रूप में हुआ। इसके कुछ समय पश्चात 11 वर्ष के बाद जर्मनी में हिटलर के नेतृत्व में नाजीवाद के रूप में हुआ। और कई देशों जैसे सस, हंगरी,स्पेन तथा पुर्तगाल आदि में भी फासिस्ट शासन प्रारम्भ हुआ।

जर्मनी में सर्वाधिकारवाद का उदय :

जर्मनी में नाजीवाद व्यवस्था के उदय को ही सर्वाधिकाररवाद का उदय कहा जा सकता है। प्रथम युद्ध के पश्चात जर्मनी की जनता ने वरसाय की संधि को कभी नहीं पसंद किया। इस सन्धि के दौरान कुछ ऐसे निर्णय लिये गये जैसे वायु सेना न रखने को आदेश, हर्जाने की मांग क्षतिपुर्ती के लिए रकम मांगना जो वो नही देसकते थे। जिससे वहां की जनता में आक्रोश पैदा हो गया।

जर्मनी की आंतरिक आर्थिक स्थिति काफी जर्जर हो चुकी थी। व्यापारियों का भी पतन शुरू हो गया। जमीनी हालात बहुत बिगड गये थे। इसके परिणाम स्वरूप जर्मनी में साम्यवाद का प्रसार तेजी से होने लगा। जर्मनवासियों ने वरसाय की संन्धि को हमेशा से एक बुराई ही मानते थे। वरसाय की संधि की अन्यायपूर्ण धाराओं को हटाने के सुझावों को नही माना जाता था। जर्मन राजनीतिज्ञों के निवेदन को भी नही माना जाता था।

NOTES

नाजीवाद आन्दोलन इसी राजनीतिक पृष्ठभूमि पर तैयार हुआ। इस आन्दोलन के प्रेणेता हिटलर है।

इस अंन्दोलन का जन्म जर्मनी के राष्ट्रीय अपमान के कारण हुआ। इस आंन्दोलन के सभी संगठन देश के लोगों पर्ती ने भाग लिया। आंदोलन के कारण हिटलर को जेल जाना पडा पुस्तक लिखी। जिससे नाजी के प्रचार प्रसार हिटलर के भाषणों ने नेताओं को बलिदान और अनुशासन की अपील ने इस अन्दोलन को लोकप्रिय बना दिया।

1933 में हिटलर ने संयुक्त रूप से सरकार का गठन किया। तब से जर्मनी में हिटलर व नाजीयो का ही प्रभुत्व रहा है। उन्होने अन्य पार्टियों पर प्रतिबन्ध लगा दिये मीडिया पर नियंत्रण कर लिया, मजदूर संघो पर प्रतिबध तथा नाजी पार्टी का कानून के एक माात्र बौद्धिक पार्टी का दर्जा दिया गया। 1934 में हिटलर में राष्ट्रपति, अध्यक्ष कार्यपालिका और विधायिक सभी अधिकारों को अपने आधीन करने के पश्चात तानाशाह शासक बन गया। जो नाजीवाद सर्वाधिका रवाद के रूप में सामने आया।

सर्वाधिकारवादी व्यवस्था की सहायक सामाजिक आर्थिक दशाएँ :

सर्वाधिकारवादी व्यवस्था की सहायक सामाजिक आर्थिक दशाएं संक्षेप में निम्नलिखित है–

NOTES

1. प्रथम विश्व युद्ध तथा वर्साय की संधि :

सर्वाधिकारवाद का उदय प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इटली में फासिस्टवाद के रूप में हुआ। इसी प्रकार जर्मनी में नाजीवाद के रूप में सर्वाधिकारवाद का उदय हुआ। जर्मनी में सर्वाधिकारवाद के उदय का प्रमुख कारण वर्साय की संधि को कहा जाता है। वर्साय की संधि को खत्म करने के लिये हिटलर ने नारा भी दिया कि 'वर्साय की संधि का अंत हो।'

2. आर्थिक दशाए :

किसी भी देश के विकास के लिए आर्थिक परिस्थितियां महत्वपूण मानी जाती है। सर्वाधिकारवाद के विकास मे भी आर्थिक दशाएं विशेष स्थान रखती है। वरसाय की संधि के पश्चात जर्मनी की आंतरिक आर्थिक स्थिति काफी कमजोर पड चुकी थी। 1930 में हुए भयंकर आर्थिक स्थिती का सर्वाधिक प्रभाव जर्मनी पर ही पडा।

3. देश में अत्यवस्था :

सर्वाधिकारवाद के उदय में देशो में व्याप्त अराजकता भी एक महत्वपूर्ण तत्व रहा है। जिन देशो में आर्थिक व राजनैतिक व्यावस्थाएं छिन्न–भिन्न हो गई थी। उन देशो के निवासी पुनः देश को व्यवस्थित देखना चाहते थे। वे एक ऐसी सरकार चाहते थे जो देश को व्यवस्थित कर सके।

4. गणतन्त्र शासन का विरोध :

जर्मन तथा इटली दोनो सर्वाधिकारवादी देशों में गणतन्त्र की विदेश नीति असफलता रही है। जर्मनी में वर्साय की संधि के पश्चात गणतंत्र का उदय हुआ। जर्मनी की जनता ने गणतंत्र शासन का विरोध किया जिससे हिटलर ने सर्वाधिकारवादी व्यवस्था उभर कर सामने आयी।

सर्वाधिकारवाद की अन्य सहायक दशाये निम्नलिखित है। जिन्होने सर्वाधिकारवाद व्यवस्था को स्थायी रखने में योगदान किया–

1. आर्थिक स्वावलंबन पर बल
2. सैनिक शक्ति पर बल
3. अति राष्ट्रवाद की भावना को बढना
4. सर्वाधिकारवादी नेताओं का व्यक्तित्व आदि।

■■■

NOTES

इकाई–द्वितीय

NOTES

परिक्षापयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न निम्न लिखित है–

1. प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं से आप क्या समझते है विस्तृत वर्णन कीजिए।
2. प्रजातांत्रिक व्यवस्था का अर्थ स्पष्ट करते हुये विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।
3. प्रजातांत्रिक व्यवस्था को समझाते हुये प्रकारों का वर्णन कीजिए।
4. सर्वाधिकारवादी व्यवस्था का विस्तार पूर्वक व्यवस्था कीजिए।
5. प्रजातंत्रिक तथा सर्वाधिकारवादी व्यवस्था की व्याख्या करते हुए समझाइये।
6. सर्वाधिकारवादी व्यवस्था को परिभाषित करते हुए इसके आधारभूत लक्षणों की विवेचना कीजिए।
7. प्रजातांत्रिक व्यवस्था के आविर्भाव तथा स्थायित्व की यहायक समाजिक आर्थिक दशाओं की विवेचना कीजिए।
8. सर्वाधिकारवादी व्यवस्था के अभिभार्व तथा स्थायित्व की सहायक समाजिक आर्थिक दशाओं की विवेचना कीजिए।
9. सर्वाधिकारवादी व्यवस्था को समझाते हुये इसकी सहायक समाजिक आर्थिक दशाओं की व्याख्या कीजिए।
10. प्रजातंत्रिक तथा सर्वाधिकार वादी व्यवस्था की समाजिक आर्थिक दशाओं की विस्तणपूर्वक विवेचना कीजिए।

■■■

इकाई–तृतीय

NOTES

राजनैतिक संस्कृति एवं सामाजिक एक परिचय :

इस इकाई के अन्तर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर अध्ययन करना है–

- राजनैतिक संस्कृति अर्थ एवं विशेषताएं
- राजनैतिक सामाजीकरण अर्थ विशेषताएं एवं अभिकरण।
- समाज में शक्ति वितरण के अभिजन सिद्धान्त (मोस्का, परेटो, आर0 मिचेल्स, मिल्स एवं अन्य के सन्दर्भ में)।
- प्रबुद्धजन राजनैतिक भूमिका तथा महत्व।
- दबाब समूह तथा हित समूह प्रकृति आधार तथा राजनैतिक महत्व।

राजनैतिक संस्कृति :

समाज में रहने वाले समस्त जीवों में मानव सर्वश्रेष्ठ है। संस्कृति मानव की महत्वपूर्ण सम्पत्ति है। ये मानव को सभी से श्रेष्ठ बनाती है। मनुष्य के विकास एवं समाजीकरण में संस्कृति का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मनुष्य के सोचने समझने की क्षमता बुद्धिमानी और विवकेशीलता भी अन्य जीव धारियों से कही अधिक होती है। संस्कृति प्रायः दों प्रकार की हो सकती है। भौतिक संस्कृति, अभौतिक संस्कृति।

टायलर के अनुसार, ''संस्कृति वह जटिल सम्पूर्णता है। जिसमें ज्ञान, विश्वास कलाएं नीति रीतिरिवाज और समाज का सदस्य होकर मनुष्य की अर्जित अन्य योग्यताएं और आदते सम्मिलित है।'' राजनीति सत्ता, अधिकार नियम तथा शक्ति को बनाये रखने की एक व्यवस्था है। राजनैतिक संस्कृति, संस्कृति का ही एक भाग है। इसके अर्न्तगत राजनैतिक विचारों, व्यवहारों, नीतियों, योजनाओं

व अभिमुखीकरण आदि तत्वों का अध्ययन करते है। ग्रेबियल आमण्ड ने सर्वप्रथम सन् 1966 में राजनैतिक संस्कृति शब्द का प्रयोग किया।

NOTES

''राजनैतिक संस्कृति राजनीतिक क्रियाओं तर्क बहस शक्ति नियमों व अधिकारों को बनाये रखने के लिए ऐसे प्रतिमानों जैसे मुल्य नीतियां, योजनाये व्यवहारों कार्यो और विचारों की समस्त रीतियों का योग या इसे एक सम्पूर्ण व्यवस्था भी कह सकते है।'' राजनैतिक संस्कृति के अर्थ को समझने के लिए अनेक राजनीतिक शास्त्रियों ने अपने–अपने विचार प्रस्तुत किये है जो निम्न है।

आमण्ड और पांवेल के अनुसार, ''राजनैतिक संस्कृति, राजनैतिक व्यवस्था के लोगों की राजनीति के प्रति मनोवृत्ति या रवैया है।''

ल्यूसियन पाई के शब्दों में– ''राजनैतिक संस्कृति मनोवृत्तियों, विश्वासों तथा मनोभावों का ऐसा पुंज है जो राजनैतिक क्रिया को अर्थ और सुचारूता प्रदान करता है। तथा राजनैतिक व्यवस्था में व्यवहार को निरूपित करने वाली धारणों व नियमों को बनाता है।''

एलन बाल के अनुसार, ''राजनैतिक संस्कृति, लोगों की राजनैतिक व्यवस्था व राजनैतिक मुद्दो से सम्बन्धित भावनाएं, मूल्य और धारणाएं है।''

रोज और डोगन के अनुसार, ''राजनीतिक संस्कृति किसी राष्ट्र की जनता की राजनीतिक पद्धति की आधारभूत विशेषताओं के प्रति विशिष्ट अभिवृत्तियों से मिलकर बनती है।''

राजनैतिक संस्कृति की विशेषताएँ :

राजनैतिक संस्कृति कुछ प्रमुख विशषताएं निम्नलिखित है–

1. राजनैतिक संस्कृति जन सेवको और जनता अधिकार, प्रतिमान मुल्यों के मध्य का सम्बन्ध है।

2. राजनैतिक संस्कृति समाज में रहने वाले लोगों की एक राजनैतिक विचार व मूल्य है।

3. राजनैतिक संस्कृति प्रत्येक देश में भिन्न–भिन्न होती है।

NOTES

4. राजनैतिक संस्कृति समाज की एक ऐसी राजनैतिक परम्परागत स्वरूप है व राजनैतिक व्यवस्था है जो पराम्परिक मुल्यों को सुरक्षित रखती है।

5. यह राजनैतिक व्यवस्था के लिए मूल्यों एवं आदर्शो की संरचना निर्मित करती है।

6. रजनैतिक संस्कृति राजनैतिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है।

7. राजनैतिक संस्कृति के माध्यम से राजनैतिक व्यवहार को अच्छी तरह से समझा जा सकता है।

8. राजनैतिक संस्कृति समाज के लिए राजनैतिक व्यवहार मार्ग दर्शक का काम करती है।

9. राजनैतिक समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्ति राजनैतिक संस्कृति को ग्रहण करता है।

राजनैतिक समाजीकरण :

राजनैतिक समाजीकरण एक प्रकार की प्रक्रिया है। राजनैतिक समाजीकरण के अर्थ को समझने के लिए सर्वप्रथम समाजीकरण के अर्थ कों समझना होगा। समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है। जिसे व्यक्ति समाज से सीखता है। समाज के कुछ निश्चित मुल्य व आदर्श होते है। उन समाजिक मुल्यों, आदर्शो, प्रतिमानों व व्यवहारों को सीखने की प्रक्रिया समाजीकरण है। समाजीकरण को सामाजिकरण क्रिया के रूप में भी समझ सकते है। व्यक्ति समाज में रहता है। समाज कई लोगों, व्यक्तियों या समूह से मिलकर बनाता है। मनुष्य समाज में रहकर छोटी–छोटी जिम्मेदारियाँ एक दूसरे से व्यवहार

करने की कला सामाजिक आत्मनियत्रण, सामाजिक जिम्मेदारी समाजिक हित आदि क्रियायें समाज से सिखता है जो मनुष्य के सामाजिकरण में सहायक है। जो उसे आत्मनिर्भर और सामाजिक कार्य के योग्य बनाता है। जैसे कि जॉनसन कहते है'' समाजीकरण एक सीखना है। जो सीखने वालों के सामाजिक कार्य के योग्य बनाता है।'' समाजीकरण की प्रक्रिया मानव को समाज के योग्य बनाती है। उनको मानव के समाज में जीने की कला तथा समाज और व्यक्तियों के मध्य सकारात्मक सम्बन्धों का निर्माण करती है।

NOTES

राजनैतिक समाजीकरण, समाजीकरण का ही एक भाग है। जिस प्रकार व्यक्ति समाज में रहकर सामाजिक क्रियाओं को सीखता है। सामाजिक क्रिया मुल्य प्रतिमान आदर्शो एवं व्यवहारों को सीखने की प्रक्रिया को समाजीकरण कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार जब समाजीकरण को राजनैतिक व्यवस्था से जोड़ा जाता है। तब इसे राजनैतिक समाजीकरण कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति समाजीकरण की प्रक्रिया के साथ–साथ राजनैतिक व्यवस्था के मानकों व मुल्यों का पालन करता है तो इस प्रक्रिया को राजनैतिक समाजीकरण की प्रक्रिया कहते है।

विद्वानों ने राजनैतिक समाजीकरण की निम्नलिखित परिभाषाएं दी है–

पीटर एच0 मर्कल के अनुसार, ''राजनैतिक समाजीकरण राजनैतिक व्यवस्था के द्वारा व्यवहार प्रतिमान और राजनैतिक अभिवृत्तियां प्राप्त करना है।''

रार्बट लेवाइन के अनुसार, ''राजनैतिक समाजीकरण व्यक्ति की राजनैतिक व्यवस्था में समाजीकरण व्यक्ति की राजनैतिक व्यवस्था में सहभागिता के लिए, मूल्यों आदतों और प्रेरणा का साधन है।''

मुखोपाध्याय के शब्दों में, ''वह प्रक्रिया जिसके द्वारा राजनीतिक संस्कृति व्यक्ति को व्यक्तिगत तथा सामुदायिक स्वर पर आकार प्रदान करते हुए पीढी–दर पीढी चलती है। उसे राजनीतिक समाजीकरण कहा जाता है।''

उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर कह सकते है कि राजनैतिक समाजीकरण मानव के सीखने की वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति राजनीतिक सामाजिक प्राणी बनता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जब व्यक्ति राजनीतिक व्यवस्था के मानको व मूल्यों का आन्तरीकरण के साथ–साथ इन्हे समाज मे ंएक पीढी से दूसरी पीढी को हस्तान्तरिक करता है।

NOTES

राजनैतिक समाजीकरण की विशेषताएं– राजनैतिक समाजीकरण की विशेषताएं निम्नलिखित है–

1. राजनैतिक समाजीकरण, राजनैतिक व्यवस्था तथा राजनैतिक व्यवहारों से सम्बन्धित है।
2. यह एक ऐसी प्रक्रिया है। जो मनुष्य समाज में रहकर राजनैतिक सहभागिता से सीखता है।
3. यह जीवन पर्यन्त चलने वाली प्रक्रिया है।
4. यह राजनैतिक स्तर को एक नई दिशा प्रदान करती है।
5. राजनैतिक समाजीकरण राजनैतिक विकास के प्रक्रिया स्तर की व्यवस्था मे ंयोगदान देता है।
6. यह प्रक्रिया समाज को एक नई राजनैतिक व्यवस्था की ओर दिशा प्रदान करता है।
7. इस प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्ति राजनैतिक आदर्शो एवं मुल्यों को एक पीढी से दूसरी पीढी तक पहुंचाते है।
8. इस प्रक्रिया ने व्यक्ति को राजनैतिक व्यवस्था में अधिक से अधिक सहभागी होने के लिए प्रेरणा दी है।
9. राजनैतिक समाजीकरण की प्रक्रिया से व्यक्ति अपने समाज में राजनैतिक जीवन की प्रति अनुकूल दृष्टिकोण बनाता है।

10. यह राजनैतिक परिवर्तन से भी सम्बन्धित है।

11. राजनैतिक समाजीकरण, राजनैतिकरण राजनैतिक सहभागिता के प्रेरक आधार है।

NOTES

राजनैतिक समाजीकरण के अभिकरण :

राजनैतिक समाजीकरण एक सामाजिक प्रक्रिया जो इसी समाज से प्रारम्भ होती है। व्यक्ति समाज में ही इन राजनैतिक व्यवहारों, मूल्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। समाज उसे ये जानकारी कौन देता है, कैसे प्राप्त करता है। समाज में ऐसी बहुत सी संस्थाये व साधन है जो साधनो को राजनैतिक समाजीकरण के अभिकरण कहलाते है। जो व्यक्ति के राजनीति के समाजीकरण करता है। राजनैतिक समाजीकरण के प्रमुख अभिकरण निम्नलिखित है।

1. **परिवार**– समाजीकरण की प्रक्रिया हो या राजनैतिक समाजीकरण दोनों प्रक्रियाओं में परिवार का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है। परिवार में ही बच्चे को अनेक प्रकार से समाजीकृत किया जाता है। वह परिवार से सही गलत का निर्णय लेना सीखता है।, परिवार में बडे की सत्ता के नियंत्रण के बारे में , अधिकारों दायित्वों व मुल्यों के परिवार से ही सीखता है। जो व्यक्ति को राजनैतिक समाजीकरण की दिशा की ओर ले जाती है। एरिफ्सन का कथन है कि परिवार बच्चों को उनके सामाजिक कर्त्तव्यों के प्रति सचेत करता है।

2. **विद्यालय या अन्य शैक्षणिक संस्थाएं**– परिवारिक समाजीकरण के पश्चात जब बालक विद्यालय जाता है। तो बच्चे को वहां बौद्धिक संवेगात्मक सामाजिक व राजनैतिक विकास का पाठ पढाया जाता है। बच्चा उपरोक्त प्रक्रियाओं के साथ–साथ राष्ट्रीयता की भावना भी विकसित होती है। वहां उसे समूहों संस्थाओं राष्ट्रीय नेताओं के बारे में राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगीत राष्ट्रपति आदि के बारे में प्रारम्भिक जानकारी दी जाती है। बडे शिक्षण

संस्थाओं व स्कूल कालेजों में राजनैतिक विचारों व्यवहारों मतदान प्रजातन्त्र, सरकार, नागरिकता, स्वतन्त्रता आदि राजनैतिक जानकारी रखता है। धीरे–धीरे छात्र राजनैतिक गतिविधियों राजनैतिक ज्ञान राजनैतिक अभिरूचि विकसित होने लगती है। वह राजनीतिक घटनाओं में भाग भी लेने लगता है। शिक्षण संस्था व्यक्ति के राजनैतिक समाजीकरण के विकास में महत्वपूर्ण अभिकरण है।

NOTES

3. **पड़ोस एवं मित्र**– परिवार व शैक्षणिक संस्थाओं के बाद पडोस व मित्र समूह भी राजनैतिक समाजीकरण के प्रमुख अभिकरण में से एक है। व्यक्ति परिवार स्कूल के बाद वह अपने पड़ोसी मित्रों के पास अधिक से अधिक समय व्यतीत करता है। और व्यक्ति जहां अधिक से अधिक रहता है। वहां उनमें आपसी अन्तः क्रिया अवश्य होती है। व्यक्ति कुछ न कुछ अवश्य सीखता है। जैसे चुनाव के समय समय में राजनैतिक सक्रियता आपसी बात–चीत, विभिन्न राजनैतिक दलों का एक विभिन्न राजनैतिक चर्चाये करना मित्रों में भी ऐसी राजनैतिक समूह व चर्चाये होती है। जो व्यक्ति का राजनैतिक समाजीकरण करते है। इस प्रकार पास पडोस व मित्रों का समूहों राजनैतिक समाजीकरण में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

4. **राजनैतिक दल व संस्थाये**– राजनैतिक दल व राजनैतिक संस्थाये प्रजातन्त्रात्मक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। इन्ही राजनैतिक दलों व व्यवस्था के आधार पर सरकारों का निर्माण होता है। राजनैतिक दल व संस्थायें व्यक्ति के राजनैतिक समाजीकरण में विशेष भूमिका अदा करते है। समाज में अनेंक राजनैतिक दल समय–समय पर सक्रिय हुये है। इससे यह पता चलता है कि समाज के लोगों में राजनैतिक समाजीकरण की प्रक्रिया में गतिशीलता आयी है। राजनैतिक दलों ने विकास ने राजनैतिक समाजीकरण की प्रक्रिया को एक महत्वपूर्ण अभिकरण के रूप में स्थापित किया है।

NOTES

5. जन सम्पर्क व जन संचार की भूमिका– जन सम्पर्क व जन संचार भी राजनैतिक समाजीकरण का अभिकरण है। जन सम्पर्क के माध्यम से विचारों का आदन–प्रदान सरलता से होता है व इन्हे समझाना भी आसान होता है। जन संचार के माध्यम से व्यक्ति में राजनैतिक समाजीकरण की प्रक्रिया तेजी से होती है। जन संचार के साधन जैसे– समाचार पत्र, पत्रिकाये, परचे पुस्तक, पोर्स्टस, टेलीविजन, रेडियों, इंण्टरनेट टेलीफोन, मोबाईल आदि है। इनके माध्यम से घटनाये कम समय में एक साथ कई लोगों के पास दुर–दूर तक आसानी से पहुंच जाती है। आज जन संचार राजनैतिक प्रसार तथा समाज में राजनैतिक समाजीकरण के विकास का एक महत्वपूर्ण अमिकरण है।

उपरोक्त विभिन्न अभिकरणों के माध्यम से व्यक्ति में राजनैतिक समाजीकरण की प्रक्रिया गतिशील है। इस प्रक्रिया के द्वारा व्यक्तियो में राजनैतिक भावना का विकास हुआ है। उनमें राजनैतिक ज्ञान, राजनैतिक मुल्यों मनोवृत्ति व संवेग आदि का भी जन्म हुआ है और उन्होंने राजनैतिक जीवन को ग्रहण किया है। जिन व्यक्तियों में राजनैतिक समाजीकरण के तत्व होते है। वे राजनैतिक व्यवस्था को एक नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते है। उनमें एक विशेष क्षमता होती है। राजनैतिक समाजीकरण की प्रक्रिया व्यक्ति के जीवन में निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है।

समाज में शक्ति वितरण के अभिजन सिद्धान्त :

समाज में समय–समय पर विभिन्न प्रकार की शासन व्यवस्थाओं का जन्म हुआ है जैसे प्रजातात्रिक व्यवस्था, सर्वाधिकारवादी व्यवस्था आदि। यह व्यवस्थाये इस प्रकार की शासन व्यवस्थाओं में कुछ लोग ही मुख्य होते है। जिनके हांथों मे ंपूर्ण शासन व्यवस्था व सत्ता होती है। इन्हें राजनैतिक व्यवस्था में आदर व सम्मान प्राप्त होता है। इन्हे राजनैतिक सत्ताधारी कहते है ये संख्या में कम ही होते है। लिकिन फिर भी इनके गुणों के कारण ये समाज मे

महत्वपूर्ण प्रकाश डालते है। ये सत्ताधारी व सभ्रान्त लोग अपने व्यक्तिगत गुणों योग्यता, क्षमता, स्वयं निर्णय लेने की तेज प्रवृत्ति नेतृत्व करने की प्रबल शक्ति आदि गुणों के कारण ये समाज में सर्वोच्चि स्थिति को प्राप्त करते है। ये आपसी संबध बनाने में बहुत तेज होते है। इन सम्भ्रान्त लोगो को ही अभिजन के नाम से जानते है। राजनैतिक क्षेत्र में संचालन व शासन व्यवस्था में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

NOTES

सर्व प्रथम सन् 1823 में अभिजन अवधारणा का प्रयोग आक्सफोई डिक्शनरी में किया गया। इन अवधारणा के सम्बन्ध में विभिन्न वैज्ञानिकों राजनीतिक शास्त्रियों, अर्थशास्त्रियो, समाज विज्ञान को तथा समाजशास्त्रियों जैसे– सी0राइट मिल्स, मौस्का, विलफ्रेडो पैरेटो, राबर्ट मिचेल्स, लासवेल आदि ने अपने–अपने विचार प्रस्तुत किये है।

''राजनैतिक अभिजन एक ऐसा शब्द है जो ऐसे विशिष्ट लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है। जो प्रजातांत्रिक राजनैतिक व्यवस्था राजनैतिक कार्य विधियो तथा सामाजिक राजनैतिक निर्णय प्रक्रिया से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष से जुडे होते है। ये अपने व्यवहारिक प्रभाव से शक्ति व सत्ता प्राप्त करते है। ऐसे प्रभावी व विविष्ट जन को ही राजनैतिक अभिसन् कहते है।''

प्लोटों ने राजनैतिक अभिजन को समझाते हुए कहा है कि ''प्रत्येक समाज का शासन एक ऐसे अल्पसख्यक वर्ग के हाथों में होता है जिसके पास सम्पूर्ण समाजिक और राजनैतिक सत्ता पर अपना अधिकार स्थापित कर लेने के आवश्यक गुण होते है। और यही लोग समाज और राजा के उच्चतम शिखरों तक पहुच पाते है। वास्तव मे यही सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति होते है। इन्हीं सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों अभिजन कहा जाता है।

आन्य विभिन्न विद्वानों द्वारा राजनैतिक अभिजन की परिभाषाये निम्नलिखित है–

राबर्ट मिचेल्स के अनुसार, ''अभिजन संगठित अल्प समूह है जो एक सी अन्तः प्रेरणा से प्रेरित रहते है और असंगठित बहुत संख्याओं पर आधिपत्य जमाए रहते है।''

NOTES

विलफ्रेडो पैरेटो के अनुसार, ''अभिजन वे सफल लोग है जो सबसे ऊपर आ जाते है।

सी0राइट मिल्स के अनुसार, ''सम्भ्रान्त जन समुदाय के सर्वोत्कृष्ट लोगों का एक समूह है जो कि धन, शक्ति एवं प्रतिष्ठा के सर्वोपरि है। एवं जो अन्यों के विरोध के बावजूद अपनी इच्छाओं को आरोपित करने में समर्थ होते है।''

उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर सक्षेप में कह सकते है कि ''अभिजन या सम्भ्रान्त जन ऐसे लोग होते है जेा अपने गुणों व्यक्तित्व व अपनी तर्क शक्ति से समाज में व राजनैतिक क्षेत्र एक उच्च व प्रतिवर्ष स्थान प्राप्त करते है और अपनी बतों को समाज में स्थापित करने की क्षमता रखते है।''

राजनैतिक अभिजन के सम्बन्ध में अनेक विद्वानों लासवेल, डेनियल, पैरेटो मोस्का, मिथेल्स सी राइट मिल्स आदि विद्वाानो ने कुछ सिद्धान्त प्रस्तुत किये है जो समाज में शक्ति के वितरण के अभिजन के सिद्धान्त से प्रसिद्ध है। जो निम्न है।

राजनैतिक अभिजन के सिद्धान्त :

राजनैतिक अभिजन के सिद्धान्त विभिन्न विद्वानों ने प्रस्तुत किये है। जो निम्नलिखित है–

गिटानों मोस्का का राजनैतिक अभिजन सिद्धान्त–

गिटानों मोस्का इटली के महान विचारक थे। इन्होने अपनी पुस्तक 'दि रूलिंग क्लास' में समाज में शक्ति के वितरण के अभिजन सिद्धान्त की विस्तृत रूप से चर्चा की है। इन्होंने समाज में सम्पूर्ण राजनैतिक संगठन को देा वर्गो में विभाजित किया है पहला शासन वर्ग और दूसरा शासित वर्ग शासक वर्ग को

अल्पसंख्यक कहा तथा शासित वर्ग को बहुसंख्यक मोस्का ने इन दोनो वर्गो को निम्न प्रकार से व्याख्या की है।

NOTES

1. **शासक वर्ग**– शासक वर्ग अर्थात अल्पसंख्यक वर्ग एक ऐसा वर्ग है जो बहुसंख्यक वर्ग पर शासन स्थापित करता है। यह वर्ग व्यक्तियों का है जो अपने गुणों योग्यता क्षमता व निर्णय लेने की क्षमता के कारण राजनैतिक शासन को एकाधिकार के साथ संचालित करते है। इन्ही शासक वर्गो के पास सम्पूर्ण राजनैतिक शाक्ति व सत्ता केन्द्रित रहती है। इन्ही वर्गो को शासकीय अभिजन भी कहते है।

2. **शासित वर्ग**– शासित वर्ग को बहुसंख्यक वर्ग भी कहते है इन वर्गो के पर न तो राजनैतिक शाक्ति होती है। और न ही सत्ता। इनका नियन्त्रण शासक वर्ग के पास होता है। शासित वर्ग एक ऐसा वर्ग है जो सदैव शासक वर्ग पर निर्भर रहता है। मोस्का ने भी कहा है कि ''शासित वर्ग वह बहुसंख्यक वर्ग है जो शासक वर्ग द्वारा निर्देशित व नियंत्रित होता है। मोस्का के अनुसार यह बहुसंख्यक वर्ग सदैव शासित इसलिए होता है। कि इसके पास संगठन एकता व विशेष योग्यता की कमी बराबर बनी रहती है। जिसके कारण वे किसी प्रकार को निर्णय पर एकमत नही हो सकते।

मोस्का अल्पसंख्यक वर्ग बहुसंख्यक वर्ग पर शासन करने के बारे में लिखते है कि अल्प संख्यक वर्ग संगठित होता है। जबकि बहुसंख्यक वर्ग का प्रत्येक व्यक्ति उसके सामने अकेला होता है। जबकि अल्पसंख्यक वर्ग में प्रायः श्रेष्ठ व्यक्तियों की संख्या ज्यादा होती है। मोस्का अपने 'राजनैतिक फार्मूले' पर जोर देते हुए कहते है कि प्रत्येक समाज में अल्प संख्यक अपने को सत्ता में बनाए रखने के लिए नैतिक और कानूनी आधार खोज निकालने का प्रयत्न करते है। और उन्हें ''उन सिद्वान्तों और विश्वासों के, जो सामान्य रूप से मान्य और स्वीकृत है।, तर्क सम्मत और आवश्यक परिणाम के रूप में प्रस्तुत करता है।''

NOTES

जब कभी अल्पसंख्यक वर्ग राजनैतिक निर्णय व राजनैतिक नियंत्रण की शाक्ति कम होने लगती है तब शासक वर्ग के बाहर के लोग अपनी–अपनी अभिवृतियों को बढाने मे ंलग जाते है और एक समय ऐसा आता है जब पुराने अल्पसंख्यक वर्ग का अन्त हो जाता है और उसके स्थान पर नए शासन वर्ग का जन्म होता है जो समाज व जनता को उनकी भलाई व सुख दुःख में साथ देने का पूर्ण विश्वास दिलाता है। मोस्का मानते है कि यह एक प्रकार का नियम है जो काफी समय तक शासन कर लेने के बाद शासक वर्ग या तो जन साधारण को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने मे ंसमर्थ हो जाता है अथवा वे सुविधाएं जो वह उन्हें देता है, उनकी दृष्टि से महत्वहीन हो जाती है। अथवा एक नए धर्म का उत्थान होता है। अथवा समाज को प्रभावित करने वाली सामाजिक शक्तियों में इसी प्रकार का परिपर्तन होता है। ऐसी स्थिति में सत्ता का परिवर्तन अनिवार्य हो जाता है।

विलेफ्रेडो पैरेटो का अभिजन सिद्धान्त :

इटली के महान विचारक विलफ्रेडो पैरेटो ने अपनी कृति 'माइन्ड एडं सोसायटी' में अभिजन सिद्धान्त को प्रस्तुत किया है। पैरेटो के अनुसार समाज एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है। जो निरन्तर चलती रहती है। पैरेटो के अनुसार समाज एक परिर्वनशील प्रक्रिया है। जो निरन्तर चलती रहती है। पैरटो का विचार है किसी भी युग या समाज से कही पर भी पूर्ण रूप से बंद वर्ग नहीं होता है। प्रत्येक समाज मे ंएक उच्च वर्ग जिसे पैरेटोने 'अभिजात वर्ग' कहा है। निम्न वर्ग और निम्नवर्ग से उच्च वर्ग की ओर जाने की प्रक्रिया निरन्तर चलती रहती है। पैरेटों के अनुसार अभिजात वर्ग के सदस्य अहकारी वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। इस वर्ग के लोग प्रभावशाली बुद्धिमान योग्य, एवं समाज मे ंइनका अधिक प्रभुत्व होता है। किन्तु धीरे–धीरे अंहकार होने के कारण इनका पतन होने लगता है। और उनका स्थान निम्न वर्ग के योग्य लोग अपनी बुद्धिमत्ता एवं कुशलता से प्राप्त कर लेते है। लेकिन कुछ समय के पश्चात

उनका भी पतन होने लगता है। बार–बार निम्न वर्ग से उच्च वर्ग तक पहुंचने की प्रक्रिया निरन्तर समाज में चलती रहती है। पैरेटों इस प्रक्रिया को ही 'अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धान्त' कहते है।

NOTES

पैरेटों ने अपने चिन्तन में ''विभिन्न प्रकार के अभिजन वर्गो के मनोविज्ञान में परिवर्तन होता रहता है। इस सम्बन्ध में उन्होंनें अवेशेषों का सिद्धान्त दिया। इस सिद्धान्त का आधार समाजिक जीवन मे व्यक्तियों के व्यवहार से सम्बन्धित तार्किक एवं अतार्किक क्रियाओं की चर्चा करके समझाया है। पैरेटों के राजनैतिक अभिजन सिद्धान्त को हम तार्किक अतार्किक एवं अवशेषों के सिद्धान्त के माध्य से अच्छी बरह समझ सकते है।

तार्किक क्रियाएं– पैरेटो के अनुसार वे क्रियाऐं जो लक्ष्य और साधन के बीच उचित सामन्जस्य स्थापित करती है। और जिनका आधार अनुभव प्रयोग तथा तर्क संगत होता है। तार्किंत क्रियाये कहलाती है। ये क्रियाये आनुभविक व प्रमाणित होती है। पैरेटो ने तार्किक क्रियाओं को स्पष्ट करते हुए लिखा है, ''हम तार्किक क्रियाएं उन क्रियाओं को कहते है जो न केवल कर्ता के दृष्टिकोण से बल्कि अधिक व्यापक ज्ञान रखने वाले अन्य व्यक्तियों के दृष्टिकोण से साधनों को लक्ष्य के साथ जोडती है।

अतः पैरेटो के अनुसार तार्किक क्रियाओं का लक्ष्य के साथ सीधा सम्बन्ध होता है। उनके शुद्धता की जांच सिर्फ वास्तविकत परीक्षण एवं प्रयोगों के आधार पर ही किया जा सकता है।

अतार्किक क्रियाये– इन क्रियाओं का आधार कल्पना, अनुमान, भावना पक्षपात, पूर्ण निर्णय लेना या आदेश आदि होता है। ये क्रियाये अतर्क संगत कहलाती है। पैरेटो ने अतार्किक क्रियाओं के बारे में लिखा है। कि ''अतार्किक क्रियाये वे क्रियाये है , जो लिखा है कि ''अतार्किक क्रियाये वे क्रियाये है जो किसी वास्तविक उद्देश्य से निर्धारित नही होती है बल्कि केवल किसी ऐसी प्रेरक द्वारा निर्धारित होती है जिसकी विस्तृत व्याख्या नहीं की जा सकती।

अवशेष– अवशेष एक प्रकार का अपेक्षाकृत 'स्थर चालक' है। पैरेटो ने इन अपेक्षाकृत स्थिर चालको को जो समाज व्यवस्था के असन्तुलन को बनाये रखते है, अवशेष कहा है।

NOTES

पैरेटो के अनुसार ''जिस प्रकार थर्मामीटर में पारे का चढना ताप के बढने की अभिव्यक्ति है, ठीक उसी प्रकार अवशेष भी मूल प्रवृत्तियों और संवेगों की उत्पत्ति होती है।''

पैरेटो ने शासक और शासित वर्गो को इनके गुणों के आधार पर अभिजनों को दो वर्गो 'सटोरियों' और किरायाजीवियों में बांटा है। ये वर्ग वे है जो बल प्रयोग को आधार मानकर शासन करते है और दूसरे वे होते है जो चालाकी के आधार पर शासन करते है।

परिवर्तन प्रकृति का नियम है चाहे वे समाजिक हो य राजनैतिक। पैरेटो ने भी शासक और शासितों के मध्य होने वाले 'परिभ्रमण' को आवश्यक माना है। उन्होंने लिखा है कि ''क्रान्तियां धीमी हो जाती है। या फिर अभिजनों के उन 'अवशेषो' के न होने के कारण जिनसे वे अपने को शाक्ति में रख सकते थे या बल प्रयोग करने में उनकी आनाकानी के कारण, समाज के उच्च वर्गो पर अध्याधिव जमाव हो जाता है। दूसरी तरफ समाज के प्रकार्यो को पूरा करने के आवश्यक अवशेष प्रर्याप्त मात्रा में पाए जाते है। और ऐसे लोगो को बल प्रयोग में संकोच नही होता।''

पैरेटों ने अपने राजनैतिक अभिजन सिद्धान्त के माध्य से अभिजन के परिभ्रमण की प्रक्रिया, क्रान्तियों का उत्पन्न होना शासक और शासित वर्गो की स्वीकर है। इनके गुणों की व्याख्या की है इन्होने सपने सिद्धान्त को तार्किक अतार्किक व अवशेषों के माध्यम से समाझाने का प्रयत्न किया है।

पैरेटो के अनुसार व्यवस्था की दृष्टि से परिभ्रमण आवश्यक है। लेकिन राजनैतिक जीवन में जिन व्यक्तियों के हाथो राजनैतिक सत्ता होतीहै। वे इसे

आसानी से नही छोडते है तब समाज में क्रान्ति का जन्म होता है। इस क्रान्ति से बचने के लिये पैरेटो के सुझाव है।

1. क्रान्ति से बचने का पहला उपाय है कि शासक और शासित वर्गो के योग्य व्यक्तियों को हो सत्ता मे ंप्रवेश दिया जाये।
2. अभिजात वर्ग शाक्ति के द्वारा अपनी सत्ता को बनाए रखे।

NOTES

सी0राइट मिल्स का सिद्धान्त :

सी0राइट मिल्स अपने काल में विद्वान पैरेटो मोस्का व कार्ल मार्क्स के विचारो से प्रभावित थे। इन्होंने इन विद्वानों के प्रमाण से प्रभावित होकर ही अपना राजनैतिक अभिजन सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। सी राइट मिल्स इस सिद्धान्त के बारे में लिखते है कि ''उद्योगों के प्रमुख संचालक और समाज के अत्यधिक समृद्ध वर्ग दो भिन्न सामाजिक समूह नही है जिन्हें एक दूसरे से स्पष्ट रूप से अलग किया जा सके। सम्पत्ति और सुविधाओं की दुनियां में वे एक दुसरे के साथ तथ्यों के आधार पर उधोगपतियों का उद्भव किन वर्गो से होता है बताने का प्रयास किया है वे कहते है। कि समाज मे प्रमुख रूप से उच्चतम व उच्चतर मध्यम वर्गो मे ंसे ही अधिशासियो व प्रबन्धको की नियुक्ति की जाती है। ये दोनो वर्ग समाज में सामाजिक समूह के रूप में आपस में सम्बन्ध है। इसी वर्ग को मिल्स ने शाक्ति अभिजन कहा है।

इसी वर्ग के द्वारा समाज के सभी विवादों का निर्धारण व निर्णय होता है। मिल्स आगे लिखते है कि ''शक्तिशाली सम्भ्रान्त जन पूर्णतः पृथक शासक नही है। बल्कि सलाहकार निति–निर्माणक, प्रवक्ता उच्चतम विचारक च निर्णयों के आधार है। सम्भ्रान्त जनों के नीचे मध्यस्तर के व्यवसयिक राजनीतिक है। जिसमें काग्रेस प्रभाव समूह विभिन्न राजनैतिक समूहो के प्रभावशाली व्यक्ति कस्बे नगर वहां के उच्च वर्ग के व्यक्तियों को रखा जाता है।

मिल्स ने अमेरिकी समाज का उदाहरण लिया है उन्होंने प्रमुख रूप से अमेरिका के तीन अमिजनों वर्गो की विवेचना की है।

NOTES

- कम्पनी अध्यक्ष
- राजनैतिक नेता
- सेनापति

मिल्स इन वर्गो को ही अमेरिकी समाज में अभिजन के रूप में मानते है उन्होने इन्हे शासन के निर्माण कर्ता के रूप मे निसपित किया है। मिल्स इन तीनों वर्गो को सम्भ्रान्त जन की श्रेणी में रखते है। उपरोक्त तीनों वर्गो को मिल्स सम्भ्रान्त जन कहते है।

मिचेल्स का अभिजन सिद्धान्त :

आर0 मिचेल्स ने अपने अभिजन सिद्धान्त में मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति को आधार मानकर एक साधारण मनुष्य और एक राजनैतिक नेता के बीच सम्बन्धो पर प्रकाश डाला है। गिचेल्स के इस अमिजन सिद्धान्त को ''कुलीन तंत्र के लौह नियम'' से भी जाना जाता है। जिसे 'स्वल्प तंत्र का लौह'' नियम भी कहते है। इस नियम के सम्बन्ध में वे बताते है कि ''मनुष्यों के प्रत्येक सगंठन में जो निश्चित उदेदश्य को प्राप्त करेन के लिए प्रयास करता रहता है। उनमें अन्तरवर्ती स्वल्पतांत्रिक प्रवृत्तियां विद्यमान रहती है। इससे मनुष्यों के बहुमत के लिए गुलामी की अपनी शाश्वत मनोवृत्ति के कारण, एक अल्पंसख्यक वर्ग के प्रभुत्व को मानना उसकी अपनी नियति बन जाती है। नेतृत्व जीवन के सभी रूपों में आवश्यक है। सभी जीवन के सभी रूपों में आवश्यक है। सभी व्यवस्थाओं और सभ्यताओं में कुलीनतत्र की विशेषताओं का प्रदर्शन होता है। मिचेल्स का मानना है कि समाज में मुख्य दो प्रकार के व्यक्ति स्वाभाविक रूप से होते है।

पहले तरह के व्यक्ति वे होते जो आलसी उदासीन व गुलाम प्रवृत्ति के होते है। ऐसे लोग शासन व्यवस्था में स्थायी रूप से भाग लेने में अपने को असमर्थ महसूस करते है। ऐसे व्यक्ति अपनी प्रसंशा मात्र से संतुष्ट हो जाते है और सत्ताधारक व्यक्तियों के सामने आज्ञयाकारी व उन पर निर्भर हो जाते है और सत्ताधारक इसी का फायदा उठा सत्ता में बने रहने के लिए ऐसे व्यक्तियों को गुलाम बने रहने वाली प्रवृत्ति का लाभ उठाते है। इस प्रकार धीरे–धीरे यें नेता सत्ता के शिखर तक पंहुंच जाते है। और इन्हें यहां से हटाना मुशकिल होता है। नेताओं के प्रभुत्व को नियंत्रित करने के लिए समय–समय पर कई नियम–कानूनों का निर्माण किया जाता है। लेकिन नेताओं के प्रभुत्व के कारण धीरे इन कानूनों फेंर बदल करके कमजोर कर दिया जाता है। और नेता अपने शान व शासन को किसी प्रकार की कमी नही आने देते। इससे कुलीन के लौह नियम के रूप में समझ सकते है।

NOTES

यदि किसी कारण वश इन सत्ता धारियों को जो समाज को धोखा दे रहे है। इन्हें सत्ता से हटा दिया जाता है तो ये पुनः अपनी चलाकियों, प्रभुत्व के कारण उसी स्थान व अधिकार को प्राप्त कर लेते है। जनता सब कुछ जानते हुये भी इन्ही को सब कुछ मानने को मजबूर हो जाती है।

मिचेल्स मानते है कि प्राचीन इतिहास में ऐसी काई क्रान्तियां आयी है जब एक सत्ता का अन्त हुआ हो और दूसरी का जन्म लेकिन वो भी अपने शाक्ति का स्तेमाल करके अपने प्रभुत्व को समाज का स्तेमाल करके अपने प्रभुत्व को समाज में लागू करने लगती है। और पुनः एक बार पहले की तरह दुनियां उसी रफ्तार से आगे बढने लगती है मिचेल्स लौह नियम के बारे में कहते है कि ::जिसके शिकंजे से अधिक लोकतांत्रिक आधुनिक समाजो और उन समाजो में अधिक से अधिक प्रगतिशील राजनैतिक दल के निकलना सम्भव नही हुआ है।'' अर्थात सत्ताधारी व राजनैतिक नेता अपने प्रभुत्व तथा सत्ता को कभी नही छोड सकते।

प्रबुद्धजन :

NOTES

प्रबुद्धजन का शाब्दिक अर्थ समझने की क्षमता से सम्बन्धित है अर्थात ऐसे सामाजिक लोग जो अपनी बुद्धि व तर्क शाक्ति की सहायता से समाज में श्रेष्ठ स्थान ग्रहण करते है और समाज को एक नई दिशा प्रदान करते है। प्रबुद्धजन सामाजिक व राजनैतिक शासन व्यवस्थाओं में अपनी पूर्णतायः भागीदारी निभाते है और वे इसके कर्ता धरता भी होते है। अतोनियों ग्राम्शी प्रबुद्धजन को स्पष्ट रूप से परिभावित करते हुए लिखते है कि ''व्यापक अर्थ में प्रबुद्धजन वे व्यक्ति है जो वर्गीय शक्तियेां के संघर्ष में मध्यमस्थता के अनिवार्य कार्य को सम्पन्न करते है।''

प्रबुद्धजन एक ऐसा बौद्धिक सामाजिक वर्ग है जो समाज को निरन्तर नवीनीकरण करता है। प्रबुद्धजन उस सम्पूर्ण वर्ग का प्रतिनिधि होता है। गांधी जी हिन्दु और मुस्लिमों के बीच होने वाले संघर्ष को समाप्त करना चाहते थे जिसके लिए उन्होने अथक प्रयास किये। अतः वे हमारे लिए एक प्रबुद्धजन (बुद्धिजीवी) है।

प्रबुद्धजन की राजनैतिक भूमिका या महत्व :

प्रबुद्धजन अपने विशेष गुणो, निर्णय लेने की क्षमता, तर्कशाक्ति विशेष योग्यता व कुटनीतिकता के कारण बौद्धिक प्रभुत्व को प्राप्त करता है। जिससे वे सामाजिक व राजनैतिक क्षेत्रो के उच्चतम शिखर तक पहुंचता है। इन क्षेत्रों में बुद्धजीवियों को प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। प्रबुद्धजन सामाजिक व राजनैतिक शासन प्रणाली का प्रतिनिधि होता है। प्रबुद्धजन का राजनैतिक क्षेत्र में विशेष महत्व या भूमिका है। प्रबुद्धजनों की राजनैतिक भूमिका या महत्व को निम्नलिखि बिन्दुओं के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है–

1. प्रबुद्धजन की राजनैतिक व्यवस्था की रचना में भूमिका :

प्रबुद्धजन किसी भी देश की राजनैतिक व्यवस्था के आधार होते है। ये अपनी विशेष योग्यता व नेतत्व क्षमता के आधार पर देश की राजनैतिक व्यवस्था में परिवर्तन के साथ–साथ एक निश्चित दिशा प्रदान करते है। कुछ प्रमुख प्रबुद्धजन जिन्होने अपने देश की राजनैतिक व्यवस्था को एक निश्चित आधार प्रदान किया है जैसे लेनिन ने साम्राज्यवादी अन्दोलन की शुरूवात कर सात्यवादी सरकार का निर्माण किया तथा हिटलर ने जर्मनी की राजनैतिक व्यवस्था का नेत्त्व किया व एक छात्र शासन किया। इस प्रकार अलग–अलग देशो में प्रबुद्धजनों ने अपनी अपनी क्षमता के आधार पर राजनैति व सवैधानिक व्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है।

NOTES

2. राजनैतिक पार्टी के निर्माण में भूमिका तथा महत्व :

प्रबुद्धजनों का सीधा सम्बन्ध राजनैतिक दलों के निर्माण से होता है। क्योकि किसी भी पार्टी के सभी सदस्य प्रबुद्धजीवी न होकर कुछ ही सदस्य या पार्टी का मुखिया होता है वो प्रबुद्धजीवी के श्रेणी में आता है और वही अपनी पार्टी के महत्वपूर्ण निर्णय लेता है। कार्ल मार्क्स ने मार्क्सवादी पार्टी को जन्म दिया है। जिसे आज विश्व के सभी देशो के सरकारों में इस पार्टी के अस्तित्व के रूप में देख सकते है।

3. सरकार के निर्माण के महत्व :

प्रबुद्धजनों का सरकार के निर्माण में विशेष महत्व है ये सामूहिक प्रयास से देश सराकार का गठन करते है। ये ही सरकार के निर्णयों में भागीदारी निभाते है। किसी सरकार को सत्ता से गिरराने में इन्ही दूसरी पार्टी के प्रबुद्धजीवियों का हाथ होता है। सत्ताधारी प्रबुद्धजीवी अपनी करता करता है। इसका प्रभाव सम्पूर्ण जनता पर पडता है।

NOTES

4. प्रबुद्धजनों का नौकरशाह के रूप में महत्व :

सरकार के प्रशासनिक संचालन में नौकरशाह का चयन उनकी बुद्धि परीक्षण एवं कार्यो में निपूर्णता के कारण होता है। ये सरकार का संचालन व कार्य पूर्ण निष्ठा व सफलता पूर्ण तरीके से करते है।

5. राजनैतिक संघर्ष व स्वस्थ नेतृत्व में महत्व :

इस राजनैतिक व्यस्था में कई बार ऐसी समस्या आ जाती है। जब राजनैतिक अव्यवस्थाये चरम में होती है। प्रजातांत्रिक मूल्य नष्ट होने लगते है, राजनैतिक विकास की गति धीमी हो जाती है। तब प्रबुद्धजन इस व्यवस्था को ठीक–ठाक करने का अपना विशेष महत्व होता है। किसी देश की राजनैतिक व्यवस्था व विकास के लिए नेतृत्व क्षमता का होना आवश्यक है। समाज को एक नई दिशा प्रदान करने में नेतत्व क्षमता अहम है। यह क्षमता एक बुद्धजीवी में पायी जाती है। व अपनी योग्यता, तर्क शक्ति व नेतृत्व क्षमता से एक अच्छी सरकार का निर्माण करते है।

6. जनमत निर्माण व जनकल्याण में महत्व :

एक अच्छे बुद्धजीवी में जनमत निर्माण करने तथा उनके विश्वाास को अर्जित करने का गुण होता है। प्रबुद्धजन जंनकल्याण कर उपेक्षित जनता व समाज के हित को सोचते है। जन कल्याण के माध्यम से ये प्रबृद्धजन जनाधार को भी बढाते है।

7. सरकार व जनता के मध्य सामंजस्य :

प्रबुद्धजनों के माध्यम से ही सरकार जनता के सामने अपने बतों को कहती है जिसमें प्रबुद्धजनों का काम होता है। आपस में उनके बीच सामजस्य स्थापित करना व जनता को अपनी बात के लिये राजी करना।

उपरोक्त बिन्दु के आधार पर कह सकते है की राजनैतिक दृष्टिकोण से प्रबृद्धजनों का विशेष महत्व है।

एडवर्ड शिल्स कें अनुसार, ''भारत के राजनैतिक विकास में सम्मिलित राजनैतिक नेतृत्व तथा संभ्रान्त जन वर्ग का बडा प्रभाव बुद्धिजीवियों द्वारा निर्मित है।''

NOTES

दबाब समूह तथा हित समूह :

दबाब समूह तथा हित समूह समाजशास्त्र का ही एक अध्याय है जो समाज से जुडा हुआ है। ये समूह समाज के एक अंग है। दबाब समूह व हित समहों को अध्ययन सन् 1908 में प्रकाशित ऑर्थर बोष्टले की पुस्तक 'दि प्रोसेस आफ गवर्नमेट से प्रारम्भ मानी जाती है। दबाब समूह व हित समूहों का जन्म समाजो में व्यक्तियों ने अपने हितों व स्वार्थो की रक्षा हेतु, समुहो के रूप में संगठित किया जाता है। ऐसे समूहो दबाब समूह व हित समूह कहलाते है विभिन्न समाजों में राजनैतिक जीवन व क्रिया कलापों का स्वस्थ आधार माना है। संसार में सभी व्यक्तियों को स्वंत्रता के साथ संगठन बनाने का अधिकार है। जिसके परिणामस्वरूप दबाब समूहो का विस्तार देखने को मिलता है।

समाज में विभिन्न स्वभाव के व्यक्ति देखे जा सकते है और उनको अपने हितो को ध्यान में रखकर कुछ उदेश्यों व लक्ष्यों को प्राप्त करने की लगन होती है। ऐसे कई व्यक्ति आपस में मिलकर अपने हितो के लिए समूह का निर्माण करते है। जिसे हित समूह कहते है। इन समूहों का प्रमुख उद्देश्य विभिन्न हितों का पूरा कर उनकी रक्षा करना है।

इसी प्रकार जब कोई हित समूह अपने कार्यो व उद्देश्यों को पूरा नही कर पाता है तब वह समूह से बाहरी मदद् की आसा करता है वह अपने हितो व उदेदश्यों के लिए किसी सरकारी सम्पन्न व सरकार से सहायता की सोचता है। जिसके लिए वह सरकार पर दबाब बनाता है और अपने समूह के हित में नियम कानून बनाने का भी दबाब बनाने लगता है। इस क्रिया को या उस समुह को दबाब समूह कहा जाता है।

विविभन्न विद्धानों ने दबाब समूह व हित समूहो के पक्ष में निम्नलिखित परिभाषये दी है।

NOTES

मायरन वीनर ''दबाब समूह से तात्पर्य ऐच्छिक रूप से संगठित ऐसे समूदाय से है। जो प्रशासकीय ढांचे से बाहर रहकर शासकीय अधिकारियों के निर्वाचन, मनोनयन तथा सर्वजानिक नीति के निर्माण एवं क्रियान्वयन को प्रभावित करने का प्रयत्न करता है।''

वी0ओ0की0 के अनुसार ''हित समूह ऐसे असार्वजनिक संगठन है जिका निर्माण सार्वजनिक नीति को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। ये प्रत्याशियों के चयन तथा सरकार के व्यवस्थापन के उत्तरदायित्व की अपेक्षा सरकार को प्रभावित करने का प्रयत्न करके अपने हित साधन से लगे रहते है।''

एच0जेगलर के अनुसार ''यह एक संगठित समूह है जो सरकारी निर्णयों के सदंर्भ को, सरकार में अपने प्रतिनिधियों को स्थापित किए बिना भी प्रभावित करना चाहता है।''

हैनरी डब्ल्यू एहरमैन के अनुसार ''दबाब समूह वह ऐच्छिक समिति है जिसके सदस्य किसी हित के बचाव के लिए परस्पर सम्बद्ध है।

दबाब समूह व हित समूह की प्रकृति :

दबाब समूह व हित समूह की प्रकृति को निम्न बिन्दुओं के माध्यम से समझ सकते है–

1. हितो व उद्देश्यों की प्राप्ति :

दबाब समूह व हित समूह का निर्माण किन्ही विशेष उद्देशों की पूर्ति हेतु किया जाता है। इन्ही उद्देश्यों व हित के कारण दबाब समूह का निर्माण होता है। इन्ही उदेश्यों के लिए जैसे सामाजिक राजनैतिक आर्थिक धार्मिक आदि के लिए ये शासन व्यवस्था से अपेक्षा रखते है। इस प्रकार दबाब समूह का निर्माण होता है। और व्यक्ति इन समूहों को सदस्य बन जाता है।

2. ऐच्छिक एवं असार्वजनिक संगठन :

हित समूह एक ऐसा असार्वजिक संगठन है। जिसका निर्माण सार्वजनिक नितियों को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। इन्हे ये समूह अपने हितों की रक्षा के लिए अपनी इच्छा अनुसार बनाया जाता है। जिसमें अपने समूह के सदस्य के हितों के बारे में विचार किया जाता है य किसी राजनैतिक बल से जुडा नही होता और न ही इसका कोई सदस्य लेकिन अपने हितों के लिए राजनैतिक मदद अवश्य लेता है। जिससे ये राजनैतिक गतिविधियों को प्रभावित करते है।

NOTES

3. औपचारिक संगठन :

इन समूहो की अपनी स्वयं की कार्य शौली होती है इनके अपने नियम कानून कार्यकारिणी सदस्यता का शुल्क आदि स्वयं निधारित करते है। यह एक औपचारिक संगठन की तरह कार्य करता है।

4. सरकारी दबाब डालना :

दबाब समूह व हित समूह अपने हित व उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सरकार से शासन की नीतियों को अपने पक्ष में बनाने का दबाब बनाता है।

5. सदस्यता का आधार समानहित की चेतना :

सदस्यता का प्रमुख आधार समूह के प्रति व्यक्ति के हितों का समान रूप से ध्यान रखना है। ऐसे समूहो में सदस्यता की संख्या पहले से निर्धारित होती है। जिससे की हितो की संख्या न बढ़े।

6. लोकतांत्रिक समाज होने के कारण :

इन समूहो के निर्माण को गति मिलती है। जिसमें वे पूर्ण स्वत्रंता के साथ अपने व समूहों के सदस्यों के हितो की रक्षा सगंठन के द्वारा कर सकते है। और वह किसी प्रकार के भी सगंठन में भाग ले सकते है।

दबाब समूह व हित समूह का आधार :

NOTES

दबाब समूह व हित समूहो को अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के प्रमुख आधार निम्न है–

1. **संगठन की शक्ति**– इन समूहों का प्रमुख आधार उनका आपस में संगठित होना है कोई सदस्यों का एक समूह जब अपने सदस्यों के हितों के बारे सोचता है तो एक संगठन की शीक्ति के बारे में पता चलता है। इन समूहों का निर्माण सदस्यों के संगठन की शक्ति आधारित है।

2. **सामूहिक प्रचार–प्रसार**– दबाब व हित समूहों अपने हितों व समूह के सदस्यों के हितों व लक्ष्यों के लिए सामूहिक रूप से मिल जुल कर प्रचार प्रसार करते है।

3. **सामाचार पत्र व प्रत्रिकाओं का प्रकाशन**– ये अपने हितों व लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए तथा अपने संगठन व कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाने के लिए पत्र पत्रिकाओं का भी प्रकाशन अपने समूह द्वारा करवाते है। इनमें सरकार की गलतियों को जनता तक पहुंचाते है और जनता को अपने समर्थन में तैयार करते है।

4. **राजनैतिक क्रिया शीलता**– ये समूह प्रायः राजनैतिक दलों से जुड़े रहते है लेकिन इसे वे सार्वजनिक नही करते। ये सिर्फ अपने हित के लिये इनसे जुडे रहते है।

5. **चुनावी भागीदारी**– ये चुनाव में सार्वजनिक भागीदारी नही लेते है ये सिर्फ राजनैतिक पार्टीयों को अपना समर्थन देते है। इनकी धन बल और लोगों के समर्थन की शक्ति से इनका सहयोग करते है और बदले में अपने हितों के लिये अपना दबाब बनाने में कामयाब होते है।

6. **हिंसक स्वभाव**– दबाब समूह अपने हितों के लिए सदैव हिंसक प्रवृत्ति अपने को तैयार रहते है। ये अपने कार्यो को हडताल प्रदर्शन झगडे आदि तरीको से भी पूरा कराने में नही डरते।

NOTES

7. **न्यायलयो का सहारा**– दबाब समूह अपने हित के लिए न्यायलयों का भी सहारा लेने लगे है। शासन द्वारा अपनी हित कार्यो को पूरा करने के लिए न्यायलयों का सहारा लेकर सरकार पर दबाब बनाते है। उदाहरर्णाथ आरक्षण वृद्धि के लिए, अदिवसिय द्वारा न्यायलय जाना आदि।

8. **सभाओं का आयोजन**– ये जन सभाओं भाषण, आदि के माध्यम से भी सरकार पर दबाब बनाने का प्रयास करते है। शासन विरोधी बातों को अपने भाषण में बताकर जनता को अपने पक्ष में कर लेते है। और शासन को अपने हितों के लिए बाध्य करने के लिए मजबूर कर देते है।

9. ये शासन पर दबाब बनाने के लिए विभिन्न आंकडो का भी सहारा लेते है। जो शासन की कमियों को बताता है। इन शासन सम्बन्धियों आंकडों को नीति निर्माताओ के समक्ष करके शासन द्वारा अपने हितों को सोचने पर मजबूर कर देते है। शासन भी इनके हितों ख्याल रखने का प्रयास करता है।

दबाब समूह व हित समूह का राजनैतिक महत्व :

व्यक्ति अपनी अवश्यकतओं की मूर्ति के लिए दबाब व हित समूह का निर्माण करता है। जहां आपस में मिल जुलकर एक दूसरे के हितों को पूरा करते है। राजनैतिक दल व दबाब समूह के सन्दर्भ में हार्मन फाइनर कहते है कि ''जहां सिद्धान्त तथा संगठन में राजनैतिक दल कमजोर होगे, दबाब समूह पनपेगें। जहां दबाब समूह शक्तिशाली होगें वहां राजनैतिक दल कमजोर होगे जहां राजनैतिक दल शक्तिशाली होगें वहां दबाब समूह दबा दिए जाएंगें। समाज में दबाब समूह का प्रभाव अप्रत्यक्ष रूप से धीरे–धीरे बड रहा है। इनके

राजनैतिक महत्व को निम्नलिखित बिन्दुओं के माध्यम से समझाया जा सकता है–

NOTES

1. दबाब समूह का महत्व राजनैतिक दलों के सम्बन्ध में :

दबाब समूहों और राजनैतिक दलों का गहरा सम्बन्ध है। क्यों कि दोनों ही आपस में एक दूसरे की सहायता करते है। दबाब समूह अपने हितों व उद्देश्यों के लिए राजनैतिक पार्टीयों की प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप में सहायता करते है। वही कई राजनैतिक पार्टियां भी अपनी शक्ति बढानें व चुनावी सफलता के लिए दबाब समूहों की मदद लेते है। भारत में ऐसे कई दबाब समूह है जैसे भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन, अजाक्स, अपाक्स, युवा सगठन, व्यापारी संगठन आदि दबाब समूह के रूप सक्रिय है और राजनैतिक दलों में अपनी भागीदारी भी निभातें है।

2. व्यवस्थापिका के संबंध में दबाब समूह का राजनैतिक महत्व :

दबाब समूह अपने समूह के सदस्यों के हित के लिए व्यवस्थापिका के सदस्यों को प्रभावित करतें है। क्षेत्रों के विधायकों को प्रभावित करते है। जिससे की यदि कोई कानून या नीतिगत निर्णय लिया जाये तो वह अनेक हित में हो। राजनैतिक चुनाव के समय राजनैतिक दलों को अपने पक्ष में करने के लिये ये उन्हें अधिक से अधिक चन्दा देते है। और वोट दिलाने का भरोसा करते और उनका विश्वास पाने में सफल रहते है। दबाब समूह व्यवस्थापिका पर अपना पूर्ण नियत्रण बनाने का पूरा प्रयास करता है।

3. कार्यपालिका के संबन्ध में दबाब समूह का महत्व :

दबाब समूह व्यवस्थापिका के साथ–साथ कार्यपालिका के सदस्यों मेलजोल रखते है। क्यों कार्यपालिक विधायक के निर्णयों को अन्तिम रूप देती है। अतः ऐसी स्थिति में भी उसे सहयोग मिले और कार्यपालिका उसके हितों को ध्यान में रखकर निर्णय दे। लेकिन ऐसा न होने पर वह विरोधी पार्टीयां से

मिल जाते है और प्रदर्शन का तरीका अपनातें है। कार्यपालिका स्वंय इनको समूहो के विधि निर्माण के समय आमंत्रित करती है।

4. प्रशासकीय संगठन के सबंध में दबाब समूह का महत्व :

NOTES

प्रशासनिक अधिकारियों से भी दबाब समूह का संबन्ध होता है। दबाब समूह का उच्च अधिकारियों से सम्बंध इसलिए होते है क्योकि से अधिकारी विधायिका द्वारा भाग लेते है। सरकारी कार्यो को पूरा करने के लिए सरकारी कार्यो को पूरा करने के लिए प्रशासनिक कर्मचारी को नियोजित किया जाता है। दबाब समूह इन पर भी अपना दबाब बनाने का प्रयास करते है और अपने कार्यो कौ पूरा करवाते है।

5. निर्वाचन के संबन्ध में दबाब समूहों का महत्व :

जब दबाब समूहों का कार्य पूर्ण न होने की आसा देती है तो वह निर्वाचन की प्रतिक्षा करते है और समय वह राजनैतिक स्थिति को अपने अनुकूल बनाने के प्रयास में लग जाते है ये अपने समूह के हित के लिए कुछ भी कर सकते है।

6. दबाब समूह अपने सदस्य की सभी इच्छा व उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राजनैतिक दलों को प्रभावित करने का पूर्ण प्रयास करता है। तथा उम्मीदवार का चुनावी पक्ष को मजबूत करने का प्रयास करता है। यह लोकतंत्र को स्थापित आधार पहुंचाता है।

◘◘◘

इकाई–तृतीय

NOTES

परिक्षापयोगी महत्पूर्ण प्रश्न निम्नलिखित है–

1. राजनैतिक संस्कृति को परिभाषित कीजिए तथा इसकी विशेषताओं की विवेचना कीजिए।
2. राजनैतिक समाजीकरण से आप क्या समझते है? इसकी विशेषतओं की विवेचना कीजिए।
3. राजनैतिक समाजीकरण की परिभाषा देते हुए, राजनैतिक समाजीकरण के अभिकरणो की व्याख्या कीजिए।
4. समाज में शक्ति वितरण के अभिजन सिद्धान्त पर एक निबन्ध लिखिए।
5. मिचेल्स के राजनैतिक अभिजन के सिद्धान्त की व्याख्या कीजिए।
6. गिटानों मोस्का के 'राजनैतिक अभिजन' की अवधारण की विस्तृत व्याख्या कीजिए।
7. पैरेटों के राजनैतिक अभिजन सिद्धान्त की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए।
8. सी0 राइट मिल्स के राजनैतिक सम्भ्रान्तजन से सम्बन्धित विचारो की विवेचना कीजिए।
9. प्रभुजन को परिभाषित करते हुये इसकी राजनैतिक भूमिका तथा महत्व को समझाइए।
10. दबाब समूह तथा हित समूह को परिभाषित कीजिए। इसकी प्रकृति, आधार तथा राजनैतिक महत्व को सक्षिप्त में समझाइये।

◘◘◘

इकाई–चतुर्थ

NOTES

नौकरशाही तथा राजनैतिक दलों के विकास का परिचय :

इस इकाई के अर्न्तगत निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर अध्ययन करना है–

- नौकरशाही–विशेषताएं तथा प्रकार नौकरशही का राजनैतिक विकास में महत्व (भारत के सन्दर्भ में)
- राजनैतिक दल– विशेषताएं, सामाजिक संरचना।
- राजनैतिक भर्तीकरण।
- जन सहभगिता।
- राजनैतिक उदासीनता, कारण तथा परिणाम (भारत के सन्दर्भ में)।

नौकरशाही :

नौकरशाही का शाब्दिक अर्थ 'अधिकारियों का शासन' है। नौकरशाही एक ऐसी व्यवस्था में है। जिसमें प्रशासन द्वारा विभिन्न क्षेत्रो ंके सरकारी कार्यो एवं निर्देशन के लिए ऐसे व्यक्तियों का चुनाव किया जाता है। जो इसके काबिल हो। इन कर्मचारियों का चुनाव इनकी योग्यता के अनुसार होता है। और इन्हें विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इस व्यवस्था में कार्य सोपान विधि द्वारा होता है। ये कर्मचारी प्रशासन द्वारा नियुक्त होते है। इनका कार्य जनता व प्रशासन के हित में कार्य करना होता है। लेकिन यह व्यवस्था एक प्रशासकीय मशीन की तरह कार्य करती है। ये जनता से अधिक अपने अधिकारियों एवं सत्ता धारियों के प्रति अधिक उत्तरदायी होते है।

नौकरशाही को नौकरों को नौकरों द्वारा नौकरों के लिए सरकार जैसे परिभाषा से परिभाषित किया है। जो इस व्यवस्था के प्रति धृणित विचारधारा उत्पन्न हो जाती है। नौकरशाही की कुछ प्रमुख विद्वानो ने निम्न लिखित परिभाषाये प्रस्तुत की है–

NOTES

बनार्ड शाँ के अनुसार ''सत्ता के उपासक उच्च पदाधिकारियों की सामन्तशाही का दूसरा नाम नौकरशाही है।''

ग्लैडन के अनुसार ''नौकरशाही एक 'अधिकारियों द्वारा शासन' है।''

मोजर, किग्सले और स्टाल के अनुसार ''नौकरशाही कृमिक प्रशासन रचना है, जिसकी जटिल मशीन में प्रत्येक अधिकारी एक पुर्जे के समान है। इस संगठन में कोई भी वस्तु संयोग पर नही छोडी जाती है। पहले ही सभी सम्बन्धो को परिभाषित कर दिया जाता है। तथा यही सता का त्रिकोण स्तुप उत्तरदायित्व के स्तरो में क्षैतिज रूप में विभाजित किया जाता है। अतएव एक अर्थ में नौकरशाही संघटनाधर के उपर है।''

मैक्स बेबर के अनुसार ''यह एक प्रकार का प्रशासकीय संगठन है, जिसमें विशेष योग्यता, निष्पक्षता तथा मनुष्यता का अभाव आदि लक्षण पाए जाते है।''

इस प्रकार नौकरशाही एक ऐसी संरचनात्मक व्यवस्था है। जिसमें कर्मचारियों को पूर्ण नियंत्रण अपने उच्च अधिकारियों के हाथों में होता है। ये कर्मचारी अपने अधिकारी के प्रति कर्तव्यनिष्ठा सतर्कता, ईमानदारी तथा कार्यकुशलता पर आधारित होता है।

नौकरशाही की विशेषताएँ :

नौकरशाही एक प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था है। इसकी निम्नलिखित विशेषताएं है–

1. **कर्मचारियों के प्रमुख कर्त्तव्य**– नौकरशाही में विभिन्न क्षेत्रों के कार्यो के लिये अलग–अलग कमचारी नियुक्त किये जाते है। इनके विशिष्ट कार्य होते

है। जिन्हे पूरा करना इनका प्रमुख कर्तव्य होता है। ये अपने–अपने कार्य क्षेत्र के अन्दर ही कार्य करते है। ये अपने कर्तव्यों को पूरा करने मे एक दूसरे को सहयोग करते है।

NOTES

2. **पद–सोपान पद्वति**– नौकरशाही व्यवस्था को निर्माण विभिन्न क्षेत्र के अधिकारियों द्वारा निर्धारित होता है। इनकी भी नियुक्ति की जाती है। यह नियुक्ति पद सोपान पद्धति द्वारा की जाती है। कुछ निम्न आधिकारी पद होते है तथा कुछ उच्च होते है इनके कुछ पद के कुछ कर्त्तव्य होते है जिनका उनको पालन करना पडता है वे इनके कुछ नियम कानून होते है। जिसके द्वारा ये अपने कर्त्तव्यों के प्रति बोध होते है।

3. **कर्त्तव्यनिष्ठ व्यवस्था**– नौकरशाही व्यवस्था में कर्त्तव्यनिष्ठा का पालन करना सदस्यों के लिए आवश्यक है। कर्त्तव्यपालन के लिए सत्ता का विभाजन किया जाता है। इन कर्त्तव्यों का पूर्ण करने की भी व्यवस्था बनायी जाती है।

4. **कार्यो को गुप्त रखना**– नौकरशाही पद्धति में कार्य की गोपनीयता का ध्यान रखा जाता है। सरकारी कार्यो को कर्मचारी गुप्त रखने का प्रयास करता है।

5. **दस्तावेजो को सुरक्षित व व्यवस्थित रखना**– नौकरशाही विशेषताओं में दस्तावेजों व अभिलेखों को सुरक्षित रखना एक प्रमुख विशेषता है। इस में अभिलेखों का विशेष महत्व है। सभी कागजात व लिख पडी सम्बन्धी कार्य यहां होते है इन्हे लिपिबद्ध करके कागजो को सुरक्षित रखा जाता है। जिनको सुरक्षित रखना आवश्यक है जनता की सेवा को भूल कर वे सिर्फ फाइलों का ध्यान रखते है। जनता को सिर्फ आंफिस के चक्कर कटवाते रहते है।

NOTES

6. **मेधावी एव कार्य कुशल**– नौकरशाही व्यवस्था में ऐसे व्यक्तियों का चुनाव किया जाता है। जो कार्यो को व्यवस्थित तरीके से करें। एक नौकरशाह को मेधावी होने के साथ–साथ कुशल भी होना चाहिए। इनका चुनाव विभिन्न प्रतियोगी परिक्षाओं के माध्यम से होता है। जहां इनकी बुद्धि व कार्य कुशलता का भी परिक्षण होता है।

7. उपरोक्त विशेषताओं के साथ–साथ ये प्रशिक्षित कर्मचारी होते है। साथ ही साथ कागजी कार्यवाही का भी विशेष महत्व होता है। यह एक विशिष्ट पद्वति है।

नौकरशाही के विभिन्न प्रकार :

नौकरशाही के प्रमुख चार प्रकारों में विभाजित किया गया जो निम्न प्रकार से है।

1. **जातिगत नौकरशाही**– नौकरशाही का यह प्रकार जाति के अर्न्तगत होता है। इससे पदाधिकारियों का चुनाव जाति के आधार पर किया जाता है। प्रायः ऐसी व्यवस्था में उच्च पदों पर किसी उच्च जाति के पदाधिकारी का नियत्रणं रहता है। मार्क्स ने इस व्यवस्था के बारे में लिखा है कि उच्च पदो ंके लिए ऐसी योग्यताएं दी जाती है कि उसमें एक विशेष वर्ग को ही प्राथमिकता मिलती है।

2. **अभिभावक नौकरशाही**– अभिभावक नौकरशाही में सिर्फ कुछ विद्धानों का पूर्ण रूप से नियंत्रण होता है। क्योकि इन पदो ंके लिए कुछ ऐसे नियम होते है जिसे सभी योग्यता की आवश्यकता होती है। ये नौकरशाही शास्त्रोक्ता आचरण में दीक्षित होते है। इस पद्धित के अन्तर्गत एक ओर न्यायपूर्णताः शुद्धता, दक्षता, कार्यकुशलता होती है तो दूसरी तरफ अनुत्तरदायी और अधिकारपूर्ण।

3. **संरक्षक नौकरशाही**– संरक्षक नौकरशाही पद्धति का दूसरा नाम लूटपद्धति भी है। यह एक ऐसी पद्धति है जिसका कोई न कोई संरक्षक होता है और यह दूसरों के अनुग्रह या पुस्तकार रूप में प्राप्त होती है। इस पद्धति का 17वीं शताब्दी में यूनाइटेड किंगडम में प्रसारित थी।

NOTES

4. **योग्यता नौकरशाही**– योग्यता नोकरशाही व्यवस्था में कर्मचारियों व पदाधिकारियों का चुनाव उनकी योग्यता के आधार पर होता है। इनकी योग्यता को विशिष्ट परिक्षण द्वारा परखा जाता है जिससे लिखित मौखिक तथा उपाधि सम्बन्ध परिक्षण हो सकते है। इस समय सरकारी नौकरी में नियुक्ति वर्ग भेद सम्बन्धी विचारों पर आधारित है। अधिकतर देशो में इस प्रकार की पद्धति का प्रचलन है।

नौकरशाही का राजनैतिक विकास में महत्व (भारत के विशेष संदर्भ में) :

नौकरशाह और विशिष्ट वर्ग में गहरा सम्बन्ध है। विशिष्ट वर्ग से आशय प्रशासन के उच्च अधिकारियों से है। आजादी पहले और के उच्च अधिकारियों का स्तर अलग–अलग था। वर्तमान भारत में प्रशासनिक अधिकारियों को उच्चस्तर के नौकरशह के रूप में स्थान प्राप्त है। भारतीय नौकरशाही प्रशासन का महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। सरकार को चलाने तथा प्रशासनिक स्तर में परिवर्तन लाने व अच्छा बनाने के लिए नौकरशाही प्रशासन का होना आवश्यक है।

भारतीय नौकरशाही से तात्पर्य भारतीय लोक सेवा आयोग से है। जैसा की भारतीय संविधान में भी यह प्रतिवेदन कहा कि प्रशासन की सरकार है।'' भारतीय प्रशासन तंत्र कों प्रमुखताः तीन स्तरों में बांटा गया है। प्रशासन तंत्र केन्द्रीय राजीय और स्थानीय स्तर है। इन तीनों में प्रशासननिक स्तर पर संगठन पाया जाता है। सरकार कार्य कुशलता तथा नीतियो के क्रियान्वयन के

लिए नौकरशाहों की सलाह की सहायता लेता है। आजकल ये नौकरशाह सरकारों के आवश्यक अंग बन गये है। इसी संदर्भ में हरबर्ट मोरीसन ने कहा है कि नौकरशाही संसदीय प्रजातंत्र का मूल्य है।

NOTES

आधुनिक भारत में नौकरशाह के राजनैतिक महत्व व योगदान को निम्नलिखित बिन्दुओं के माध्यम से समझा जा सकता है।

1. **संवैधानिक विकास में महत्व**– भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें नौकर शाही व्यवस्था का संवैधानिक शासन के विकास तथा कर्य संचालन में विशेष योगदान होता है। समय–समय पर परिस्थितियों को देखते हुये संविधान के संशोधन की आवश्यकता होती है। सरकार मदद करते है। तथा संविधान संशोधन के पश्चात शासन व्यवस्था का संचालन भी करते है।

2. **राजनीति के आधुनिकी करण में सहायक**– परिवर्त प्रकृति का नियम है। आधुनिकीकरण परिवर्तन की प्रक्रिया तथा राजनैतिक आधुनिकीकरण भी राजनैतिक विकास के लिए आवश्यक है। नौकरशाह अपनी कार्य कुशलता और बौधिक क्षमता के बल पर नई–नई राजनैतिक योजनओं के साथ–साथ राजनैतिक विकास में आधुनिक करण के लक्ष्य को पाने में सध्यता करता है। इस प्रकार नौकरशाह आधुनिक तकनीक विकास के लिए भी उत्तरदायी है।

3. **आर्थिक विकास तथा जन कल्याण में सहायक**– नौकरशाह आर्थिक विकास तथा जन कल्याण के सन्दर्भ मे सरकार को अपनी महत्वपूर्ण सलाह प्रदान करता है। जो सरकार को आर्थिक स्त्रोत को बढाने में तथा आर्थिक विकास की गति को एक नई दिशा प्रदान करता है। नौकरशाह समाज के सच्चे सेवक भी होते है ये जनता के हितों का भी ध्यान रखते है। इस प्रकार नौकरशाह राजनैतिक आर्थिक विकास के साथ–साथ जन कल्याण के कार्यो में भी सहायक होते है।

4. **नीति के निर्धारण में महत्व**– सत्ताधरियों व नौकरशाहों के बीच घनिष्ट सम्बन्ध होता है। जितने भी नियम व कानून बनाये जाते है। ये मंत्रि परिषद् व विधान परिषद द्वारा पास होने के पश्चात् इनके क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व इन्हीं लोक सेवक अधिकारियों (नौकरशहों) के उपर होता है। ये इन्हें बनवाने में भी सहायता करते है।

NOTES

5. **राजनैतिक समाजीकरण तथा राजनैतिक संचार में महत्व**– ये नौकरशाह देश के समाजिकता में भी भाग लेते है नौकरशाही देश के नागरिकों में राजनैतिक समाजिकरण तथा राजनैतिक संचार के सम्बन्ध में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते है। ये समाज के हित का भी ध्यान करते है। ये जनता की समस्या को सरकार के मध्य रखने की एक विशेष कडी है। ये सरकार से जो भी मांग करते है वे हमेशा सामाजिक हित के लिए होती है। इस प्रकार ये संरकार व देश की जनता के मध्य एक संचार व्यवस्था की तरह कार्य करते है।

इस प्रकार एक सफल देश के लिए वहां के राजनैतिक विकास और राजनैतिक व्यवस्था में नौकरशाह महत्वपूर्ण कडी होते है। ये व्यवस्था सभी सरकारों के लिए आवश्यक है।

राजनैतिक दल :

प्रजातत्रिक समाज में राजनैतिक दल सामाजिक हितों नीति की पूर्ति के लिए संगठन का निर्माण करते है। राजनैतिक दलों सरकार निर्माण के साथ–साथ नीतिगत प्रशासनिक संरचना के निर्माण में भी भाग लेते है। राजनैतिक दल वृद्ध स्वैच्छिक संगठन है। मुखोपाध्याय इस सम्बन्ध में लिखते है कि ''राजनैतिक दल अन्य सामाजिक समूह से पृथक है क्योंकि इन समूहों का लक्ष्य स्वाभाविक रूप से सत्ता प्राप्त करना है तथा अकेले या विभिन्न दलों की सहायता से सत्ता को बनाए रखना है। इनका वैचारिक दृष्टिकोण तथा संगठन

की सेर्वाथ प्रवण प्रकृति इन्हें अन्य समूहों से पृथक करती है। राजनैतिक दल विविध प्रकार के सामाजिक आर्थिक हितों को समायोजिक करते है। इसी लक्ष्य के कारण इन्हे कई बार उप संस्कृतियों के रूप में या उप बहुदलीय संबंध के रूप में देखा जाता है।''

NOTES

साधारण अर्थो में राजनैतिक दल एक ऐसा समूह है जिसमें समान विचार धारा वाले सदस्य आपस में मिलकर एक सगंठन बनाते है जिसके माध्यम से वे समाज में एक ऐसा परिवर्तन लाने का प्रयास करते है जो समाजिक विकास के हित में हो। राजनैतिक दल हि सरकार के निर्माण मे भाग लेते है। और जो दल बहुमत प्राप्त करता है वे सत्ता धारी हो जाता है। और जो बहुमत नही प्राप्त करते वे जनता की समस्या को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करते है। इस प्रकार राजनैतिक दल इस प्रजातत्रिक समाज में आवश्यक और महत्वपूर्ण संगठन है।

राजनैतिक दल को विद्धानों ने निम्न लिखित परिभाषाओं के माध्यम से स्पष्ट व्याख्या प्रस्तुत की है–

प्रो0. लीकॉक के अनुसार ''राजनैतिक दल से हमारा तात्पर्य नागरिकों के उस सगंठित समूह से होता है। जो एक राजनैतिक इकाई के रूप में कार्य करते है।''

मैकाइवर के अनुसार ''राजनैतिक दल एक ऐसा समुदाय होता है जो किसी ऐसे सिद्धान्त अथवा ऐसी नीति के समर्थन के लिए संगठित हुआ हो, जिसे वह वैधानिक साधनो से सरकार का आधार बनाना चाहता है।''

सेम्युल ले0 एल्डर्स बिल्ड के अनुसार ''राजनैतिक दल विस्तृत समाज में समाजिक समूह तथा अर्थपूर्ण एवं प्रतिमानिक क्रियाओं की एक व्यवस्था है। इसका गठन ऐसे व्यक्तियों से होता है जो विशिष्ट पहचान वाले समूह के उद्देश्यों की पूर्ति करते है तथा विभिन्न में दल के कार्यो के रहते है।''

उपरोक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि राजनैतिक दल एक ऐसा सामाजिक संगठन है जो जनता की ही कुछ योग्य व्यक्तियो द्वारा संगठित होकर बनाया जाता है। यह समूह जन कल्याण देश तथा राज्य की शासन व्यवस्था को संचालित करता है। ये शासन व्यवस्था तथा समाज के मध्य की कडी के रूप में कार्य करता है।

NOTES

राजनैतिक दल की विशेषताये :

राजनैतिक की प्रमुख विशेषताये निम्न लिखित है–

1. राजनैतिक दल का प्रमुख उद्देश्य राज्य या देश की शासन व्यवस्था के नेतृत्व को संचालित करना है।
2. राजनैतिक दलो का प्रथम लक्ष्य सत्ता प्राप्ति होता है।
3. राजनैतिक दलों मे ंजनता का विश्वास अपने पक्ष मे ंकरना अहम होता है।
4. राजनैतिक दलों मे ंएक ऐसा गुण पाया जाता जो इन्हें आपस में संगठित करता है।
5. राजनैतिक दलों में अल्पतंत्रीय प्रवृत्तियों विद्यमान होती है। जिसके कारण कुछ लोगो के हार्थो में पूरे समूह की सत्ता को सोंप देता है।
6. यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कोई भी सदस्य कभी भी बन सकता है। अर्थात यह एक खुली व्यवस्था है जिसकी सदस्यता के द्वारा हमेशा खुले रहते है।
7. राजनैतिक दलों में सत्ता व विपक्ष के मध्य राजनैतिक विचार में गहरा सम्बन्ध होता है।

राजनैतिक दल की सामाजिक संरचना :

राजनैतिक दलों के सामाजिक संगठन के आधार पर राजनैतिक दलों की सामाजिक संरचना का निर्माण होता है। मोरिस ड्यूवर्गर लिखते है कि प्रत्येक राजनैतिक दल की अपनी संरचना होती है। कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो

सामान्यतः सभी दलों में सामान्य रूप से पाए जाते है। यही तत्व दलों के सामाजिक संगठन के ढांचे को स्थायित्व प्रदान करते है।

NOTES

मोरिस ड्यूवर्गट ने राजनैतिक दलों की संरचना में निम्नलिखित तत्वों की उपस्थिति को बनाया है–

1. **कॉकस**– कॉकस राजनैतिक दल में आंतरिक समूह बनाने वाले सदस्यों को कहते है। जो समूह के सदस्यों की रक्षा करना अपना परम कर्त्तव्य समझते है।

2. **शाखा**– राजनैतिक दल की प्रमुख दूसरा मूल तत्व शाखा है ये कॉकस के लिए कार्य करती है। शाखा के सदस्य अपने कार्यों के प्रति उत्तरदायित्व का विशेष ध्यान रखते है। इनके कार्य आपस में विभाजित रहते है। चुनावी महौल में थे अधिक क्रियाशील होते है। भारत के राजनैतिक दलों में शाखाये देखी जा सकती है।

3. **सेल**– सेल तथा शाखा के कार्यो में आपसी समान्यता देखने को मिलती है सेल कई उप समूहों में विभाजित होकर राजनैतिक दलों के कार्यो मे सहायता करते है। सेल आकार में शाखा से छोटे होते है। सेल का एक मुखिया होता है। सेल का सभी सदस्य मुखिया के दिशा निर्देशन में कार्य करते है। ये अपने दल के लिए सक्रिय रूप से कार्य करते है।

4. **नागरिक सेना**– राजनैतिक दलों के समाजिक संरचना का अंन्तिम चरण नागरिक सेना का है। यह सेनाविभिन्न राजनैतिक दलों की निजी सेना होती है। जो अपने दल की दृढता व अनुशासन की भावना को मजबूत करने के पक्ष में प्रचार करती है। इनकी पहचान इनकी वर्दी व झण्डे से कर सकते है। भारत में शिव सेना तथा आर0एस0एस0 को एक प्रमुख शाखा व नागरिक सेना के रूप में भी पहचान प्राप्त है। ये नागरिक सेना किसी न किसी राजनैतिक पार्टी से जुडी होती है।

उपरोक्त तत्वों को राजनैतिक दलों को सामाजिक संरचना के रूप में मेरिस डयूवर्गत ने दिया है ये राजनैतिक संगठन इन्हीं तत्वों पर निर्भर रहते है। ये राजनैतिक संगठन का आधार है।

NOTES

राजनैतिक भर्तीकरण :

राजनैतिक भर्तीकरण संकल्पन्न के जनक आमंड है। इन्होने सर्वप्रथम अपनी कृति 'कम्परोटिव पॉलटिल्सः ए डेवलेपमेंट अपोच' में भर्तीकरण व्यवस्था का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। राजनैतिक व्यवस्था में भी भर्तीकरण का विशेष महत्व है। राजनैतिक भर्तीकरण की प्रक्रिया राजनैतिक सदस्यों से सम्बन्धित है। राजनैतिक सदस्य इस प्रक्रिया में संक्रिय रूप से भाग लेते है। आमण्ड राजनैतिक भर्तीकरण को परिभाषित करते हुये लिखते है कि ''राजनैतिक भर्ती का आशय उस प्रकार्य से है। जिससे राजनैतिक व्यवस्था में राजनैतिक भूमिका को भरा जाता है।''

राजनैतिक भर्तीकरण को स्पष्ट शब्दों में कह सकते है कि राजनैतिक भर्तीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें राजनैतिक दलों में सम्मिलित सदस्यों भाग लेते है और वे रजनैतिक निर्णयों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते है। राजनैतिक भर्तीकरण का आधार लोकतंत्रात्मक व्यवस्थाओं की अनिवार्यता होती है। इसके मुख्य अभिकरण चुनाव व राजनैतिक दल है जो राजनैतिक भती प्रक्रिया को सम्भव बनाते है।

राजनैतिक भर्ती के प्रमुख कारक :

राजनैतिक भर्ती प्रक्रिया कुछ प्रमुख कारको पर निर्भर होती है। हेरोल्ड लासवैल ने प्रमुख आठ कारकों को राजनैतिक भर्ती प्रक्रिया के प्रेरक तत्व माने है–

शक्ति, प्रतिष्ठा, ईमानदारी, स्नेह, कल्याण, सक्षमता, प्रबोधन, संपत्ति

NOTES

उपरोक्त कारक व्यक्ति की राजनैतिक भर्ती प्रक्रिया की संभावना को प्रबल बनाते है। उपरोक्त कारकों में प्रेरक कारक शक्ति को माना गया है। यह भर्ती प्रक्रिया का महत्वपूर्ण कारक है। राजनैतिक भर्ति प्रक्रिया के कुछ प्रमुख कारक निम्नलिखित है–

1. उच्च राजनैतिक व सामाजिक स्थिति की पृष्ठभूमि।
2. राजनैतिक कार्यो में भागेदारी।
3. पारिवारिक सक्रियता।
4. प्रशासनिक क्षमता।
5. प्रबल महत्वकांक्षा।
6. चुनावी सक्रियता।
7. राजनैतिक शक्ति।

जन–सहभागिता :

सामान्यताः सहभागिता का अर्थ भागलेना होता है। जब कोई जन समूह राजनैतिक भागेदारी मे भाग देता है। तो उसे राजनैतिक जन समूह कहते है। किसी भी देश की सामाजिक स्थिति को बनाये रखने या प्रजातिन्त्रक व्यवस्था में राजनैतिक सहभागिता एक महत्वपूर्ण तथ्य है।

राजनैतिक सहभागिता राजनैतिक व्यवस्था की आवश्यक कडी है। राजनैतिक सहभागिता के अर्न्तगत समाज के सदस्य किसी न किसी रूप में राजनैतिक गतिविधियों में भाग लेते है। व्यक्ति का राजनीति के प्रति लगाव व मजबूरी राजनैतिक सहभागिता का कारण बन सकते है। इस प्रकार जब व्यक्ति इन राजनैतिक क्रियाओं में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेने लगता है तो यह प्रक्रिया राजनैतिक सहभागिता या जन सहभागिता कहलाती है।

कुछ प्रमुख विद्वानों ने राजनैतिक सहभागिता को निम्न प्रकार परिभाषित किया है–

मैक ग्लास्की के अनुसार, ''राजनैतिक सहभागिता को उन स्वैच्छिक क्रियाओं जिनके द्वारा समाज के शासको के चयन एवं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जन नीतियों के निमार्ण में भाग लेते है, के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।''

NOTES

डी0 मैथ्यूज एवं जेम्स डब्ल्यू के अनुसार, ''जनता द्वारा प्रत्यक्ष राजनीतिक विचारो को व्यक्त करने से सम्बन्धित प्रत्येक व्यवहार राजनैतिक सहभागिता है।''

प्रजातंत्रिक व्यवस्था के अर्न्तगत किसी न किसी रूप में व्यक्ति राजनैतिक सहभागिता से बांधा हुआ है। वह इस राजनैतिक तंत्र का एक अंग बन गया जिसके सिवा कुछ भी सम्भव नहीं है। सत्त धारी राजनैतिक सदस्यों का चुनाव तथा उसकी निर्णायक निति जन सहभागिता के बिना असम्भव है। और समाज इसका एक हिस्सा है। मतदान की प्रक्रिया राजनैतिक सहभागिता का महत्वपूर्ण उदाहरण है।

राजनैतिक उदासीनता :

राजनैतिक उदासीनता का प्रमुख कारण जनता का राजनीति के प्रति असंतोष का उत्पन्न होना है। या फिर सत्ता धारियों का राजनीति के प्रति सक्रिय न होना और जनता के प्रति अपने कर्त्तव्यों को पूर्ण तरिकें से निभा न पाना राजनैतिक उदासीनता का कारण हो सकते है। लेकिन प्राजातांत्रिक देश में राजनैतिक उदासीनता का उत्पन्न देश के विकास को प्रभावित करते है।

राजनैतिक उदासीनता के कारण (भारत के विशेष संदर्भ में) :

भातर भी एक प्रजातंत्रिक देश है यहां राजनैतिक उदासीनता के प्रमुख कारकों को उत्तरदायी माना गया है।

NOTES

1. **सत्ताधारियों का लोगों की आकांक्षाओं के विपरीत कार्य करना**– प्रायः राजनैतिक दल सत्ता पाने के लिए जनता से तरह के वादे करते है लिए सत्ता प्राप्त करने के पश्चात वे अपनी कहीं बातों को भूल जाते है तब जनता राजनीति को एक घृणित नजरों से देखती है और राजनैतिक उदासीनता का शिकार हो जाती है। सत्तारूढ दल जनता के अकाक्षाओ पर खरा नहीं उतरती जिसमें लोगों का सरकार तथा राजनैतिक सहभागिता के प्रति उदासीनता होने लगती है।

2. **राजनैतिक अस्थिरता**– राजनैतिक दलों को आपसी टकराव, दलों में आंन्तरिक अस्थिरता, नेताओं का पार्टी का दल बदला आदि राजनैतिक अस्थिरता का कारण है भारतीय राजनैतिक व्यवस्थाओं में उपरोक्त कारण प्राय कम ही रहे है।

3. **नेता के प्रति विश्वास में कमी**– नेताओं द्वारा जनता से किये गये वादो को पूरा न किया जाना तथा पार्टी के लोगो के हितों के सम्बन्ध में विचार न करना नेताओं के प्रति लोगों का विश्वास कम होने लगता है तथा धीरे–धीरे जनता राजनैतिक दूरियां बना लेती है। जिससे राजनीति के प्रति उदासीनता बढती जाती है।

4. **भ्रष्टाचार नीति**– राजनैतिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार एक धुन की तरह है जो धीरे–धीरे राजननीति को पवन की ओर ले जाती है। इससे राजनैतिक संस्कृति का भी पतन होने लगता है। राजनैतिक प्रक्रियाये असंवैधानिक रूप से कार्य करने लगती है। जब राजनैतिक उदासीनता का जन्म देता है।

5. **चुनाव प्रक्रिया का दोषी होना**– राजनैतिक उदासीनता का कारण चुनाव प्रणाली का दोष भी हो सकता है। क्योकि चुनाव प्रक्रिया में जब दो विरोधी दल के नेता बहुत से वोटो से हारते है तो बहुमत का प्रतिशत लगभग आधा–आधा होता है। लेकिन वरियता सिर्फ कुछ मतो से जीते नेता को ही मिलती है जिससे लोगो में उदासीनता की भावना उत्पन्न हो जाती है।

6. **नीति निर्माण में जनता का सहयोग न करना**– सरकार जब नीति निर्माण जैसे महत्वपूर्ण कार्यो के प्रति निर्णय लेती है तो जनता के प्रति सहयोग न करना। इन महत्वपूर्ण निर्णायों के समय अधिकारिक कर्मचारी तथा जनता की राय अवश्य लेनी चाहिए। लेकिन ऐसा नही होता इस स्थिति जब उनको कोई महत्व नही दिया जाता तो उनके मन में उदासीनता पनपने लगती है।

NOTES

7. **आंदोलन कारी राजनीति**– आंदोलन कारी राजनीति व्यवस्था व हिंसा कारी राजनीति जनता के मन में भय उत्पन्न करती है जिसके कारण वह राजनीति से दूर रहना पसन्द करते है।

8. **गरीब एवं अशिक्षा**– गरीबी तथा अशिक्षा राजनैतिक उदासीनता के सहायक तत्व है। गरीब और अशिक्षित जनता राजनीति से कोसों दूर रहना पसन्द करती है। ये अपने सामाजिक जरूरतों को पुरा करने में ही व्यस्त रहते है। उनका राजनीति के प्रति कोई लगाव नही होता है।

उपरोक्त कारणों के अलावा और भी कारण राजनैतिक उदासीनता के लिए अत्तरदायी है जो निम्न लिखित है–

1. जातिवाद स्थिति।
2. राजनैतिक दलों में आपसी गुटबंदी।
3. आपातकालीन स्थितियां।
4. संसदीय कार्यवाही के पूर्ण न होने देना।
5. जनता की राजनीति के प्रति बढती हुई निराशाएं आदि।

राजनैतिक उदासीनता के परिणाम (भातर के विशेष संदर्भ में) :

NOTES

भारतीय राजनैतिक व्यवस्था के अर्न्तगत राजनैतिक उदासीनता के परिणाम निम्नलिखित बिन्दुओं के माध्यम से स्पष्ट कर सकते है।

1. **राजनैतिक एकता का विभाजन**– राजनैतिक उदासीनता का प्रमुख परिणाम राजनैतिक एकता अर्थात राजनैतिक दलों व जनता तथा सरकार के मध्य दूरियां बढ जाती है। उनमें आपस में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार से राजनैतिक व्यवस्था में अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है जो राजनैतिक उदासीनता का परिणाम कहा जा सकता है।

2. **राजनैतिक अनुशासन की भावना में कमी**– राजनैतिक व्यवस्था मे अनुशासनात्मक भावनाओं का होना आवश्यक है। जिससें की राजनीतिक वातावरण में संस्कार व अनुशासन की भावना बनी रहे। जब लोगों से राजनीति के प्रति उदासीनता बढती है तो उनमें राजनीति के प्रति अनुशासन घटता जाता है।

3. **राजनैतिक समाजीकरण में अवरोधक**– राजनैतिक उदासीनता राजनैतिक समाजीकरण में अवरोधक का कार्य करता है। व्यक्ति धीरे–धीरे राजनैतिक मूल्यों व संस्कारों को भूलने लगता है और राजनीति से दूर होने लगता है।

4. **आतंकवाद व नक्सलवाद की उत्पत्ति**– आंतकवाद व नक्सलवाद को राजनैतिक उदासीनता की उत्पत्ति का कारण भी मानते है। जब किसी वर्ग या सम्प्रदाय के मध्य मतभेद हो जाता है या राजनैतिक परिस्थियां बिगड जाती है तो आंतक का सहारा लेकर ये अपनी बातो को सरकार से मनवाने का प्रयास करते है।

   नक्सलवाद भी राजनैतिक उदासीनता का प्रमुख परिणाम है जब निम्न वर्ग या समूह राजनैतिक व्यवस्थाओं से संतुष्ट नहीं होता है तो वह अपनी बात रखने के लिए नक्सलवादी आंदोलन का सहारा लेता है।

5. **दल–बदल राजनीति को सहारा**– राजनैतिक दलों में आपसी मतभेद ने दल–बदल की राजनीति को प्रोत्साहित किया है। नेता अपनी पार्टी की निष्ठा से उदासीन होकर या कभी–कभी लालच वस दल–बदल राजनीति का सहारा लेते है दल–बदल राजनीति से पार्टी से अस्थिरता की उत्पन्न हो जाती है तथा सरकार अनिश्चिता की स्थिति में आ जाति है जो, राजनैतिक उदासीनता का कारण बन जाती है।

NOTES

6. **प्रजातांत्रिक मूल्यों को हानि**– राजनैतिक उदासीनता प्रजातंत्रिक मूल्यों से गहरा आधात पहुंचता है कुछ राजनैतिक सदस्य अपना वर्चस्व बनाये रखने के लिए दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते है जिससे की राजनीतिक समानता स्वतंत्रता व भाई चारे की भावना का होता है जिसके फलस्वरूप प्रजातंत्रिक मूल्यों को हानि होती है।

7. **मतदान प्रतिशत में कमी**– प्रजातंत्रिक व्यवस्था में मतदाता शक्ति का प्रयोग करना आवश्यक है। लेकिन यदि मतदाता अपने मतों का प्रयोग नही करता या मतदान का प्रतिशत कम होता है तो यह इस व्यवस्था के लिए प्रश्नचिन्ह का कार्य करता है। राजनैतिक व्यवस्था में राजनैतिक उदासीनता का सीधा प्रभाव मतगणना प्रतिशत में दिखायी देता है।

उपरोक्त परिणामो के अतिरिक्त राजनैतिक उदासीनता के अन्य परिणाम निम्न है–

1. अर्थव्यवस्था को हानि।
2. पार्टी में आन्तरिक मतभेद।
3. शासन व्यवस्था के प्रति असंतोष।

■■■

NOTES

परिक्षापयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न निम्नलिखित है–

1. नौकरशाही क्या है? इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
2. नौकरशाही को परिभाषित कीजिए तथा इसके प्रकारों को समझाइए।
3. भारत के संदर्भ में नौकरशाही का राजनैतिक विकास में क्या महत्व है? समझाइए।
4. राजनैतिक दल से आप क्या समझते है? इसकी प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए।
5. राजनैतिक दल क्या है? राजनैतिक दलों की सामाजिक संरचना को समझाइए।
6. राजनैतिक भर्ती को समझते हुये इसके प्रमुख कारको को समझाइये।
7. राजनैतिक भर्तीकरण तथा जनसह भागिता पर एक निबन्ध लिखिए।
8. राजनैतिक उदासीनता से आप क्या समझते है? इसके कारणो की विवेचना कीजिए।
9. भातर में राजनैतिक उदासीनता के कारण व परिणामों को समझाइये।
10. नौकरशाही व्यवस्था पर एक विस्तृत निबंध लिखिए।

■■■

इकाई–पंचम

NOTES

भारत में राजनैतिक प्रक्रियाएँ :

इस इकाई के अर्न्तगत निम्न लिखित महत्वपूर्ण विन्दुओं पर अध्ययन करना है–

- भारत मे ंराजनैतिक प्रक्रियाएं
- भारतीय राजनीति में जाति, धर्म, क्षेत्रीयता तथा भाषा की भूमिका।
- जनमत में जन सम्पर्क माध्यम–जन संचार की भूमिका।
- अशिक्षित समाजों मे ंसंचार की समस्याए (पार्टी और राजनीति के सन्दर्भ में)।
- सामाजिक जीवन का राजनीतिकरण।

भारत में राजनैतिक प्रक्रियाएं :

प्रक्रिया बिना रूके लगातार चलने वाले घटना है। इनका अन्त नहीं होता। किसी भी व्यवस्था में व संचार के निर्माण में प्रक्रिया का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसी प्रकार राजनैतिक व्यवस्थाओं के निर्माण में भी प्रक्रियाये की अहम भूमिका है। ये भी निरन्तर चलती रहती है।

ये प्रक्रियाएं आदिम समाज से चली आ रही है आज आधुनिक समाजों ने दुनियां के हर देश में राजनैतिक प्रक्रिया विद्यमान है। राजनैतिक प्रक्रियाये राज्य या देश की शासन प्रणाली से लेकर चरण में समाहित है ये किसी न किसी चरण मे ंसमाहित है ये किसी न किसी रूप या माध्यम में चलती रहती है चाहे

इनके स्वरूप भिन्न क्यों न हों। राजनैतिक प्रक्रियाये राजनैतिक विकास की श्वास है। जिसके टूट जाने पर इसका कोई अस्तित्व नहीं है। इन प्रक्रियायें परिवर्तन के साथ–साथ विकास की नई किरण हो छूता है जो राजनैतिक विकास के लिए आवश्यक है। यदि वे सही दिशा में चले।

NOTES

इस प्रकार स्पष्ट रूप से कह सकते है कि राजनैतिक व्यवस्था में राजनैतिक प्रक्रियाये संजीवनी की तरह कार्य करती है। राजनैतिक प्रक्रियाओं को प्रमुख दो भागों में विभाजित किया जा सकता है।

1. संगठनकारी राजनैतिक प्रक्रियाएं तथा।
2. विघटनकारी राजनैतिक प्रक्रियाएं।

भारत में उपरोक्त दोनों प्रक्रियाये विद्यमान है। ऐसी प्रक्रियाये जो देश व समाज की व्यवस्था को सुचारूपूर्ण व शान्ति तरीके से व्यवस्थित रखती है। संगठनकारी राजनैतिक प्रक्रिया कहलाती है। जब कि विघटनाकरी प्रक्रियाये राजनैतिक समाजिक व्यवस्था के लिए घातक होती है ये प्रक्रियाये राजनैतिक व्यवस्था व राजनैतिक विकास मे हानि पंहुचाती है। इन प्रक्रियाओं के उदाहरण राजनैतिक उदासीनता, राजनैतिक अंदोलन, राजनैतिक संघर्ष आदि आदि है राजनैतिक प्रक्रियाओं के आधार पर है। देश की राजनैतिक चित्र प्रदर्शित किया जा सकता है। यही उसकी परछाई होती है।

भारतीय राजनीति में जाति, धर्म, क्षेत्रीयता तथा भाषा की भूमिका :

भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका :

भारत में सन् 1947 में स्वतंत्र के पश्चात् राजनैतिक व्यवस्था को एक नई पहचान मिली। भारत में धर्म निरपेक्षता के सिद्धान्त को अपनाया गया और देश की राजनीति में देश की हर जाति को शमिल किया गया। जातीय भेद

भाव रहित राजनीति के साथ–साथ देश के हर वयस्क व्यक्ति जो 18 वर्ष आयु पार कर चुका है। माताधिकार का हकदार है तथा किसी भी नागरिक को चाहे किसी भी धर्म, जाति, लिंग, वंश का हो राजनीति में भाग ले सकता है। इस राजनैतिक समानता ने देश के हर गरीब, अमीर, छोटे, बड़े तथा निम्न जाति के लोग के लिए उच्च राजनैतिक पद जो सिर्फ उच्च जातियों के हुआ करते थे, मे समानता ने प्रवेश ले लिया था। इस नई राजनीति में निम्न जाति के प्रवेश के साथ–साथ सामूहिक रूप से बहुमत प्राप्त करने वाली इस राजनैतिक व्यवस्था ने उच्च जाति को निम्न जाति के सहयोग के लिये बाध्य होना उनकी मजबूरी बन गयी।

NOTES

आधुनिक भारत में जहाँ एक और समाजिक संस्कृतिक व धार्मिक क्षेत्रों में जाति की भावना कम हुई है वही दूसरी जाति को बढती हुई भूमिका का प्रभाव केन्द्र व राज्य सरकारों में भी है। भारत में स्थानीय व राज्य स्तर की राजनैतिक व्यवस्था में जाति की भूमिका का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रो0 रजनी कोठारी का मानना है कि भारत जनता जातियों के आधार पर संगठित है अतः न चाहते हुए भी राजनीति के जाति संस्था का उपयोग करन ही पडेगा।

भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका को निम्न बिन्दुओ द्वारा स्पष्ट रूप से समझ सकते है–

1. समाज में जाति के नाम पर अलग–अलग कई संगठन बने होते है जो राजनैतिक सदस्यों को सत्ता प्राप्त करने में मदद करते है।
2. विभिन्न राजनैतिक दलों को समार्थन प्राप्त करने मे जाति की अहम भूमिका होती है। निर्वाचन क्षेत्रों में भी जाति के आधार पर पार्टियां अपने–अपने उम्मीदवाद खडा करती है।

NOTES

3. भारतीय राजनीति जातिवाद से अत्यधिक प्रभावित है। आरक्षण जैसी व्यवस्था ने जातियवाद को राजनीति में प्रभावशली बनाया है और राजनीति में जाति की जड को मजबूती मिली है।
4. जति की राजनीति व्यक्ति को उच्चस्तर तक पहंचाने में मदद करती है व्यक्ति राजनीति क्षेत्र में पहुंचने के लिए सर्वप्रथम जाति का ही सहारा लेता है। भारत की राजनीति जाति की गुलाम सी बन गयी है।
5. भारतीय राजनीति मे ंजतिगत दबाब समूहों ने भी अपनी एक जगह बनाली है। ये दबाब समूह भी राजनैतिक निर्णय की प्रक्रिया को प्रभावित करते है।
6. म्तदान में भी जाति व्यवस्था का प्रभाव देखा जा सकता। मतदाता भी जाति के आधार पर ही अपना मतदान करना पसन्द करते है।
7. वर्तमान में राजनैतिक समूहों के रूप में भी जाति समूहों की भूमिकों पायी जाती है। इस प्रकार कह सकते है कि भारतीय राजनीति जाति व्यवस्था से सर्वाधिक प्रभाविता है।

भारतीय राजनीति में धर्म की भूमिका :

भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य है यहां सभी धर्मो को समान रूप से महत्व प्रदान किया जाता है। फिर भी जब राजनीति की बात आती है तो धर्म की राजनीति की प्रभावी भूमिका रहती है किग्सले डेविस ने इस सम्बन्ध में लिख है कि ''मानव समाज में धर्म इतना सर्वव्यापक स्थायी एवं सुदृढ् है कि इसे समझे बिना किसी समाज को भांति–भांति नही समझ सकते।'' इस प्रकार के अनेक अध्ययन पढने को मिलते है जो धर्म और राजनीति को एक दूसरे से अन्तः सम्बन्धित मानते है।

प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी धर्म से जुडा है। धर्म के आधार पर व्यक्ति की भावनाओं विचार धाराओं व मूल्यों को राजनैतिक व्यवस्था की तरफ आसानी से झुका देती है। स्वतन्त्रता के पूर्व से ही भारत में धर्म पर राजनीति का प्रभाव जोरो पर था। जिसके कारण राष्ट्र को हिस्यों में बांटा गया। भारत और पाकिस्तान जो धर्म की राजनीति का प्रभाव है। फिर धर्म के आधार पर ही भारत में विभिन्न राजनैतिक पार्टीयों का जन्म हुआ और सरकारे बनी। भारतीय राजनीति में विभिन्न राजनैतिक दल किसी न किसी धार्मिक वर्गो से अवश्य जुडे हुये है। भारतीय राजनीति में धर्म की भूमिका का उल्लेख निम्न बिन्दुओं पर आधारित है।

NOTES

1. भारतीय राजनीति का प्रभावशाली तत्व

भारतीय राजनीति में धर्म एक प्रभावशाली तत्व के रूप में माना जाता है। विभिन्न राजनैतिक दल अपने को अधिक बहुमत व सत्ता पाने के लिए धर्म का सहारा लेते है।

2. उम्मीदवार के चयन की भूमिका

चुनावी उम्मीदवार के रूप में चयन की प्रक्रिया से धर्म को विशेष ध्यान रखा जाता है। धर्म के आधार पर ही चुनावी क्षेत्र के प्रत्याशी का चयन किया जाता है। जिससे की अधिक से अधिक धार्मिक समर्थन प्राप्त हो। मुस्लिम क्षेत्र में मुस्लिम प्रत्याशी तथा हिन्दु क्षेत्र में अधिकाधिक हिन्दु प्रत्याशी ही उम्मीदवाद के रूप में चुना जाता है।

3. राष्ट्रीय एकता में धर्म की भूमिका

धर्म या संम्प्रादयिक भावना राष्ट्रीय एकता के लिए साकारात्मक या नकारात्मक भूमिका का निर्वाह करते है। धार्मिक एवं सदभाव देश में एकता की भूमिका स्थापना में मदद करते है।

NOTES

4. भारतीय राजनीति में दबाब समूह के रूप में भूमिका

भारतीय राजनीति में धार्मिक संगठन दबाब समूह के रूप में भी जाने जाते है। ये राजनीतिक क्षेत्र में अपना सशक्त धार्मिक दबाब समूह के रूप में अपनी भूमिका अदा करने लगे है। धार्मिक समूह अपने अपने धर्म के सदस्यों के हित के लिये धार्मिक रूप से सरकार पर दबाब बनाते है। अतः धार्मिक संगठन एक दबाब समूह बना कर भारतीय राजनीति को प्रभावित करता है।

5. धर्म के आधार पर राज्यों का विभाजन

भारत विषमताओं का देश है। कुछ धार्मिक समूह धर्म का आधार लेकर राज्य को प्रथृक करने की मांग करते है।

6. मतदान व्यवहार में धर्म की भूमिका

धर्म संम्प्रदाय से जुडी ऐसी बहुत सी बाते है जो चुनाव में धार्मिक मुद्दों व्यक्ति के मतदान व्यवहार को प्रभावित करती है। भारत में संम्प्रदाय की राजनीति का प्रभाव ज्यादा प्रभावी है। फिर भी संप्रदाय व धार्मिकता को राजनैतिक सदंर्भ मे ंनाकरात्मक की श्रेणी में रखा जाता है। विभिन्न प्रकार के राजनैतिक दल मत प्राप्त करने के लिए मठाधीशों पादरियों के साथ ताल में बिठाने मे ंप्रयासरत रहती है। धर्म व्यक्ति के राजनैतिक व्यवहार में एक विशेष छाप छोडता है।

7. राजनैतिक दलों के निर्माण में धर्म की मूमिका

भारतीय राजनीति दलो के निर्माण मे ंराजनीति दल धर्म का सहारा लेते है। प्रजातांत्रिक देश में विभिन्न राजनैतिक दलों का बोलबाला है। जिसमें धर्म का विशेष स्थान है। आज ऐसा कोई राजनैतिक दल नही है जिसमें धर्म का सहारा न लिया है।

भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयता की भूमिका :

NOTES

भारत ऐतिहासिक भौगोलिक, सामाजिक दृष्टि से एक विशाल देश है। भारत विभिन्न छोटे–छोटे भागो में रियासतों के कम फैला था इनकी अपनी राष्ट्रीयता थी। इन रियासतों की राष्ट्रीयता होता है। जिसमें यहां क्षेत्रीयता की भावनाये पायी जाती है।

क्षेत्रवाद एक संकुचित विचार धारा है। जिसमे लोगों में अपने क्षेत्र के सदस्यों के हितो व क्षेत्र के हितो को ही सब कुछ मानते है। राजनैतिक दल भी क्षेत्रवाद के लिप्त है। या कह सकते है कि क्षेत्र वाद का जन्म ही राजनैतिक परिस्थितियों वाद के कारण हुआ। राजनैतिक दल इस क्षेत्र वाद को बढावा देती है। ये हमेशा जनता में क्षेत्रीय भावना को जागृत कर मतो को अपने पक्ष में करने का प्रयास में रहते है। क्षेत्र वाद को राष्ट्रवाद के अधीन माना है। क्षेत्र वाद भारतीय राजनीति की एक समस्या के रूप में प्रश्न चिन्हित है।

भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयता की भूमिका को निम्न बिन्दुओं के माध्यम से स्पष्ट कर सकते है। भारत में क्षेत्रीयता की बढाने के विभिन्न कारक उत्तर दायी है। प्रमुख कारक भौगोलिक दशाऐ, समाजिक दशाएं, आर्थिक समाजिक दशांए, एतिहासिक दशाएं आदि क्षेत्रवाद की प्रोत्साहित करती है। क्षेत्रवाद राष्ट्रीय एकता की भावना में ग्रहण का कार्य करती है।

राजनीति में क्षेत्रीयता की भूमिका :

1. भौगोलिक भिन्नताए क्षेत्रियता का कारण है।
2. क्षेत्रीयता के आधार पर राज्यों को सुविधाये प्रदान करना।
3. क्षेत्रीयता के कारण लोगो में अपने हितो की मांग के लिए पृथक राज्यों की विचार धरा का जन्म।

4. विभिन्न राज्यों में आपसी मनमुटाव व विवाद की स्थिति भी क्षेत्रीय की भावना के कारण उत्पन्न होती है।

5. भारत में विभिन्न जातियां पाई जाति है। क्षेत्रवाद के कारण इन पर भी प्रभाव पडता है और नवीन–नवीन राजनैतिक दलों को प्रोत्साहन मिलता है श्रेत्रवाद की भावना ही इन राजनैतिक दलों के उदय का कारण है।

6. क्षेत्रीयता की भावना देश की राष्ट्रीय एकता व अखण्डता में बाधक का कार्य करती है।

7. भारत की राष्ट्र भाषा हिन्दी है लेकिन क्षेत्रवाद के कारण इस पर कई राज्यों ने हिसात्मक आंदोलन किए है। ऐसे कई राज्य है जो हिन्दी को नही पसन्द करते है। भारत में भाषा को लेकर भिन्नताये देखने को मिलती है। यहां प्रत्येक राज्य की अपनी एक अलग बोली भाषा है जो हिंसा का कारण है।

भारतीय राजनीति में भाषा की भूमिका :

भारतीय राजनीति में संवेधानिक रूप से सर्वप्रथम 15 भाषाओं को स्वीकृति प्रदान की गई। भाषा अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम है। भारत मे ंहिन्दी राज्य व गैरहिन्दी राज्य दोनो ही है। हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकृति के लिए कई वर्षो तक विवाद चला है। अन्तः हिन्दी को राष्ट्रभाषा स्वीकार किया गया।

भाषा भी भारतीय राजनीति के निर्धारक तत्वों में से एक है। प्रो0 मॉरिस जोन्स लिखते है कि ''क्षेत्रवाद और भाषा के सवाल भारतीय राजनीति के इतने ज्वलंत प्रश्न रहे है। और भारत के हाल के राजनैतिक इतिहास की घटनाओं के साथ इनका इतना गहरा संबध रहा है कि अक्सर ऐसा लगता है कि यह राष्ट्रीय एकता की सुपूर्ण समस्या है।'' भारत जैसे बहुभाषीय राष्ट्र में किसी एक

भाषा को सम्पर्क भाषा के रूप में चुना जाना एक मुशिकल प्रश्न का जो भारतीय राजनीति का अशांत बनाता है भाषा व भाषावाद दोनो ही भारतीय राजनीति के लिए विवादस्पद रहा है।

NOTES

भारतीय राजनीति में भाषा की भूमिका अहम मुद्दा रही है। इससे जुडी विभिन्न समास्याये निम्न लिखित है–

1. भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन।
2. हिन्दी भाषा की विवादस्पद राजनीति।
3. विभिन्न राजनैतिक अंदोलनों का उदय।
4. धर्मिक भाषाओं को राजनैतिक मुद्दा बनाना।
5. शिक्षा के निर्धारण में भाषा का महत्व विवरण।
6. भाषागत संकीर्ण भावनाओं का उदय।
7. विभिन्न राज्यों की भाषाओं को मान्यता पर प्रश्नचिन्ह।
8. उर्दू भाषा को चुनावी मुदे के रूप में प्रसारित करना।
9. भाषा के आधार पर नवीन मुद्दों तथा दबाब समूह का जन्म।

जनमत में जन–सम्पर्क माध्यम–जन संचार की भूमिका :

भारतीय राजनीति और विभिन्न दलों के संदर्भ में जन संपर्क माध्यमों की भूमिका की अहम भूमिाका रही है। जिन माध्यमों की सहायता से जनता या जन समूह को विभिन्न क्षेत्रों से सम्बन्धित सूचनाएं प्रदान की जाती है। ऐसें माध्यमों को जन सम्पर्क माध्यम के नाम से जाना जाता है। विभिन्न राजनैतिक जानकारियॉ जैसे मतदाता, नेतृत्व करने की क्षमता आदि की जानकारी देश के

किसी भी क्षेत्र में बहुत ही कम समय में पहुच जाती है। ये सभी कार्य जन संपर्क माध्यमों द्वारा ही किया जाता है। राजनैतिक जीवन में जनमत जन सम्पर्क व जन संचार एक सशक्त साधन के रूप में जाना जाता है। जन संचार के शक्तिशाली माध्यमों के अर्न्तगत समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, कम्प्यूटर, सूचना प्रौद्योगिकी की अहम देन है। जन संचार व जन सम्पर्क के माध्यम से देश व्यक्ति को देश दुनियां की जानकारी प्राप्त होती रहती है।

NOTES

जन सम्पर्क माध्यम से समाज को जो भी जानकारी मिलती है। मानव जीवन के लिए उपयोगी एवं रक्षक होती है। मानव जन सम्पर्क माध्यमों की सहायता से अपनी भवनाओं विचारों व अनुभवों को आपस में एक दूसरे से आदान प्रदान करता है। जनमत में जन संपर्क माध्यमों की भूमिका को स्पष्ट रूप समझने के लिए निम्नलिखित बिन्दुओं का अध्ययन आवश्यक है।

1. विविध प्रकार की सूचनाओं की प्राप्ति

जन संचार के माध्यम लोगों तक विविध प्रकार की सूचना प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण साधन है। जन संचाार माध्यम मनुष्य कों किसी भी परेशानी व संकट के समय की पूर्व सूचना देने में भी सफल कार्य करता है। यह मनुष्य तक अधिक से अधिक जानकारियां पहुंचाने का शक्तिशाली साधन है।

2. शासन व्यवस्था में सहायक

शासन व्यवस्था में संचार माध्यम की उपयोगी भूमिका रही है। संचार के माध्यम से ही शासक अपने क्षेत्र की विविध प्रकार की जानकारियां एकत्र करता है। इसी प्रकार जनमत को भी अपने हित के लिए शासन द्वारा बनायी गई योजनाओं की सम्पूर्ण जानकारी रखनी चाहिए।

3. निर्णाय क्षमता के प्रति प्रोत्साहन

संचार माध्यम की सहयता से व्यक्ति में निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। संचार एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से व्यक्ति अपने अन्दर की प्रतिभा को समझने व प्रस्तुत करने के भाव जाग्रत करता है।

NOTES

4. जनमत व जागरूकता में सहायक

संचार माध्यम लोगों के मतों के निर्धारण में भी महत्वपमर्ण भूमिका अदा करता है। संचार माध्यम जनता को अपने मतो की शक्ति के लिए जागरूक बनाता है।

5. जनसंचार माध्यम दर्पण के रूप में

जन–संचार माध्यम अर्थात मिडिया तंत्र का उदाहरण टी0वी0 समाज का दर्पण है जिसमें वह समाज में जो घटित होता है। उसे ही वे एक नाट्य के रूप में प्रेषित करते है। और समाज को अपना स्वंम का आइना दिखाते है।

6. राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों में योगदान

संचार माध्यम की सहायता से सरकार व शासन व्यवस्था जनता की जारूरतों की जानकारी प्राप्त करती है। उसी के अनुरूप जनता को एक स्वस्थ जनमत के लिए प्रेषित करती है। जनता के हितों के लिए राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करती है। जनता की समस्या से सरका को अवगत कराना संचार का प्रमुख कार्य है।

7. अनुमानित मतदान प्रणाली का प्रत्याशी तथा जनता पर प्रभाव

जन संचार के माध्यम से मतदाताओं का व्यवहार प्रत्याशियों के प्रति बलदता रहा है। जिसके मतदान व्यवहार पर भी प्रभाव पडता है। जन

NOTES

संचार माध्यम (मीडिया) चुनाव नतीजों से पहले हि अनुमानित राजनीति का प्रयोग करता है। तथा जनता को मतदान के लिए जनता तैयार करने में सहयक होते है। जनता किसी विशेष राजनैतिक दल के पक्ष में अपने वोट धिकार का प्रयोग करती है।

उपरोक्त विन्दुओं के अतिरिक्त बिन्दु निम्न है–

1. अर्थिक विकास में उपयोगी।
2. समाज में निखरता तथा गतिशीलता का प्रभाव।
3. समाजिक एकता व व्यक्तिगत सहिष्णुता में सहायक ।
4. शिक्षा व मनोरंजन की दिशा में गतिशीलता।
5. सक्रियता मुद्दो पर व्याख्यात्मक विशलेषण।
6. राजनैतिक प्रचार प्रसार में उपयोगी।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर स्पष्ट है की जनमत में जन सम्पर्क व जन संचार एक स्वस्थ जनमत तैयार करने में उपयोगी होता है।

अशिक्षित समाजो में संचार की समस्याएं पार्टी और राजनीति के संदर्भ में :

जनमत राजनैतिक प्रणाली का प्रमुख आधार है। प्रजातंत्रिक व्यवस्था में जनमत के आधार पर हि सत्ता का निर्धारण होता है। जनमत अर्थात जनता के रूख को जानने के लिए संचार व्यवस्था एक सशक्त माध्यम है। य़द्यपि ऐसा देखा जाता है ग्रामीण समाज के अशिक्षित वर्ग के संचार के माध्यमों ने अधिक प्रभवित नही किया है। जो एक समस्या बनी हुई है। इन समस्याओं ने अशिक्षित समाज के जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में नई–नई समस्याओ को जन्म देने के लिए उत्तरदायी समझा जाता है। उच्च कोटि की राजनैतिक व्यवस्था के निर्माण सभी

के समाजो के लिए सुविधाजनक जन संचार माध्यमों का विकास आवश्यक है जब ऐसी व्यवस्था सुचारू रूप से विकसित होगी तो एक उच्च राजनैतिक चेतना युक्त समाज का निर्माण होगा। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में अशिक्षा की समस्या बनी हुई है। जिसके कारण यह पूरी तरह संचार व्यवस्था से जुड नही पाते। समाचार पत्र पत्रिकायों आदि ऐसे समाजो के लिए अनुपयोगी साबित होती है अतः अशिक्षित समाजों की यह समस्या राजनैतिक विकास तथा सामाजिक विकास दोनों के लिए बाधक है।

NOTES

अशिक्षित समाजों में संचार की समस्या के निम्नलिखित कारण उत्तर दायी है–

1. निर्धानता की समस्या

निर्धनता ग्रामीण व अशिक्षित समाजों में संचार के प्रमुख कारणों में से एक है। निर्धनता अर्थात धन के अभाव में व्यक्ति ऐसे में वह संचार माध्यमों से जुड नही पाता। अतः अशिक्षित समाजो में संचार की समस्या को उत्पन्न करती है।

2. सडक परिवहन व्यवस्था की समस्या

सडक परिवहन साधनों के अभाव में ग्रामीण व अशिक्षित समाज संचार साधनों तक नही पहुच पाते जब कि समाज के ऐसे संचार साधनों की आवश्यकता होती है जिसके माध्यम से वह समस्याओं को देखे व सुने किन्तु सडक परिवहन व यातायात की समस्या के कारण वह उन तक नही पहुंच पाता है।

3. अशिक्षा

शिक्षा एक उपर्युक्त संचार साधन है जिसके माध्यम से शिक्षित व्यक्ति आपस में सुचानाओं का आदान प्रदान आसानी से कर सकता है। किन्तु अशिक्षित

वर्ग में यह एक समस्या के रूप में प्रातीत होती है। यह वर्ग अशिक्षित होने के कारण राजनैतिक व्यवस्था के माध्यम से भी प्रतिक्रिया करने में असमर्थ प्रतीत होता है राजनैतिक सुचनाये भी इन तकनीक पहुंचा पाती है।

NOTES

4. पार्टी व राजनैतिक सम्पर्क का अभाव

अशिक्षा धन का अभाव आदि के कारण अशिक्षित वर्ग पार्टी व राजनैतिक व्यक्तियों से सम्पर्क बनाने में असमर्थ महसूस करते है।

5. संचार के महत्व को न समझना

अशिक्षित जनता संचार की उपयोगि को को समझने में असमर्थ होती है। उनके पर संचार के साधन जैसे टी0वी0 रेडियों आदि की व्यवस्था होने पर भी वह उन्हे केवल एक मनोरंजन के साधनों के रूप में स्तेमाल करते है। उनके माध्यम से वे कोई भी आवश्यक जानकारी को नही देखते सुनते है।

6. अशिक्षित समाजो में सम्मेलनों तथा गोष्ठियों का अभाव

अशिक्षित समाज गरीबी व व्यस्त जिन्दगी के कारण सम्मेलनों व गोष्ठियों में अपना समय नही दे पाता जिसके कारण उनका इनके प्रति कम झुकाव होता है। जब की राजनैतिक पार्टीयां अपनी बात को जनता तक पहुंचाने के लिए इन्ही सम्मेलनों व गोष्ठियों का सहारा लेता है। अतः ऐसी स्थिति में भी अशिक्षित समाज संचार व्यवस्था से नही जुड पाता है।

अतः उपरोक्त बिन्दु ही अशिक्षित समाजों में संचार की एक समस्या के रूप में बने हुये है।

सामाजिक जीवन का राजनीतिकरण :

सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में राजनीतिकरण का प्रभाव किसी न किसी रूप में अवश्य देखा जा सकता है। यह दोनों आपस में एक दूसरे के

पूर्वक है। सामाजिक जीवन मे ंराजनीतिक करण के रूप को समझने के लिए निम्न लिखित भागों में विभजित किया गया है।

NOTES

1. जाति में राजनीतिकरण का प्रभाव

समाज में जाति एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में कार्य करती है। यह एक अनुवांशिक समाजिक व्यवस्था है जो व्यक्ति के कार्यो के आधार पर लागू की गयी थी। इस व्यवस्था के अर्न्तगत प्रत्येक जाति व्यवस्था के अपने कुछ नियम व रीतिरिवाज होते है भारतीय समाज में जाति का एक विशेष स्थान है। जाति व्यक्ति के जीवन से मृत्यू तक उसके साथ रहती है। वह इसका एक सदस्य होता है। भारतीय राजनीति में जाति एक महत्वपूर्ण तत्व बन गयी है। आज सभी राजनैतिक दल जाति व्यवस्था से प्रभावित देखे जा सकते है। जाति राजनीति में चुनाव से लेकर सत्ता के निर्माण तक में सहयक है। प्रजातंत्र व्यवस्था ने इसे और भी बढावा दिया है, प्रत्येक जाति का व्यक्ति राजनैतिक व्यवस्था में समान रूप से भाग ले सकता है। आज विभिन्न राजनैतिक पार्टीयां तो सिर्फ जाति के नाम ही जानी जाती है। इस पक्ष मे ंरजनी कोठारी का विचार है कि ''बजाय राजनीति पर जाति के हावी होने के जाति का राजनीतिकरण हो गया है।''

2. धर्म का राजनीतिकरण

भारत एक धर्म निरपेक्ष देश होने के बावजूद यहां की राजनीति धर्म से प्रभावित देखी जाती है। विभिन्न राजनैतिक दल धर्म का सहारा लेकर राजनैतिक महौल में तनाव बनाकर अपने हितों के लिये इसका प्रयोग करते है। राजनैतिक दल धर्मिक संगठनों का सहारा लेकर जनमत व सत्ता प्राप्त करने के प्रयास में लगे रहते है। कुछ पार्टियों का निर्माण तो धर्म को आधार मान कर बनी है इस प्रकार के राजनीतिकरण ने धर्म की राजनीति को बढाया है।

NOTES

3. छात्रो एवं युवा वर्ग के जीवन में राजनीतिकरण

छात्रों तथा युवाओं में राजनीति के प्रति उत्साह राजनीतिकरण को बढावा देती है। छात्रों एवं युवा वर्ग राजनैतिक विकास का एक महत्पूर्ण हिंसा रहा है। छात्रों एवं युवाओं की राजनीति के प्रति दिन प्रतिदिन रूचि बढी है। छात्रों को राजनैतिक जीवन महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में चुनावी भागीदारी के साथ शुरू होता है। जहां से राजनैतिक निर्णय लेने की क्षमता नेतृत्व की समझ आदि गुणों को सीखते है। छात्रों के राजनैतिक संगठन एक दबाब समूह के रूप मे ंकार्य करते है ये संगठन विभिन्न राजनैकि दलों से जुडे होते है और उन्ही के लिये कार्य करते है। राजनैतिक दल छात्रों को युवावर्ग को रूप में तैयार करते है और जनमत को बढाने में कामयाब होते है इस प्रक्रिया ने छात्रों व युवा वर्ग जीवन मे ंराजनीतिकरण को बढावा दिया है।

4. कृषक जनों तथा श्रमिक जनों में राजनीतिकरण

कृषक समाज भी अपने हित के लिए एक संगठन के रूप में कार्य करते है। आज विभिन्न संगठनों का निर्माण कृषक तथा श्रमिक समाजों ने लिये हैं। जो उनके हितों के लिए तथा प्राथमिक अवश्यताओं की पूर्ति सरकार से मांग के लिए कार्य करते है। राजनैतिक दल भी इन संगठनों की पूर्ण सहायता करते है इस प्रकार की प्रक्रियाओं ने कृषक समाज को भी राजनीतिक करण के हिस्से के रूप में कार्य करता है।

5. पारिवारिक राजनीतिकरण

राजनीति ने धीरे–धीरे लोगो के घर परिवार में भी अपनी महत्वपूर्ण जगह बनायी है। आज देश मे ंकुछ ऐसे परिवार है जो पीढियों दर पीढि राजनीति में पारिवारिक दबदबा कायम किये हुये है। उनके परिवार की कोई पीढि राजनीति में बने हुये है जिससे परिवार की राजनीतिकरण का जन्म हुआ है।

समाजिक जीवन में राजनीतिकरण को विशेष स्थान प्राप्त है। सामाजिक जीवन का प्रत्येक क्षेत्र राजनैतिक प्रक्रिया पर निर्भर हो गया है। राजनैतिक प्रक्रियाये सामाजिक जीवन को विकास का आधार बन गयी है। उपरोक्त बिन्दु के अतिरिक्त कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु निम्न है।

NOTES

1. भाषा व क्षेत्रियता का राजनीतिकरण।
2. प्रादेशिकता का राजनीतिकरण।
3. दलित तथा अल्पसंख्यको में राजनीतिकरण।
4. महिलाओ में राजनीतिकरण।
5. ग्रामीण समाज में राजनीतिकरण।
6. अपराधिक राजनीतिकरण।

उपरोक्त तत्वों कें आधार पर यह स्पष्ट होता है कि सामाजिक जीवन राजनीति समाज पूर्णतयाः राजनीतिकरण युक्त समाज की स्थापना करता है।

■■■

NOTES

कुछ महत्वपूर्ण परिक्षापयोगी प्रश्न निम्नलिखित है–

1. भारत की राजनैतिक प्रक्रियाओं की विस्तृत व्याख्या कीजिए।
2. भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका की विस्तृत चर्चा कीजिए।
3. भारत की राजनीति मे धर्म की क्या भूमिका है? समझाइए।
4. भारतीय राजनीति में भाषा की समस्या पर एक निबन्ध लिखिए।
5. कौन सी परिस्थितियां क्षेत्रवाद के लिए उत्तरदायी है। विस्तारपूर्णक समझाइए।
6. जनमत की परिभाषा दीजिए तथा इसके निर्माण के साधनों की विवेचना कीजिए।
7. जनमत में जनसम्पर्क माध्यम तथा जन संचार की भूमिका की व्याख्या कीजिए।
8. पार्टी और राजनीति के सन्दर्भ में अशिक्षित समाजों में संचार की समस्याओं की विवेचना कीजिए।
9. 'सामाजिक जीवन का राजनीतिकरण' पर एक लिखिए।
10. जन संचार के अर्थ को समझाते हुये अशिक्षित समाजों में संचार की समस्या को विस्तार पूर्वक समझाइए।

■■■